



UGC-NET

विधि

National Testing Agency (NTA)

पेपर 2 || भाग - 2



UGC NET पेपर – 2 (विधि)

इकाई - IV : अपराध विधि

| | | |
|-----|---|----|
| 1. | आपराधिक दायित्व के सामान्य सिद्धांत – एक्टस रीस और मेन्स रीआ | 1 |
| 2. | अपराध के चरण और अपूर्ण अपराध – उकसाना | 11 |
| 3. | अपूर्ण अपराध - आपराधिक षड्यंत्र और प्रयास | 16 |
| 4. | सामान्य अपवाद | 20 |
| 5. | मानव शरीर के विरुद्ध अपराध | 31 |
| 6. | राज्य और आतंकवाद के विरुद्ध अपराध | 41 |
| 7. | संपत्ति के विरुद्ध अपराध | 47 |
| 8. | महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध | 52 |
| 9. | नशीली दवाओं की तस्करी और जालसाजी | 58 |
| 10. | सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध, दंड के सिद्धांत और प्रकार, मुआवजा | 63 |

इकाई - V : अपकृत्य विधि एवं उपभोक्ता संरक्षण

| | | |
|-----|---|-----|
| 11. | टोर्ट की प्रकृति और परिभाषा | 70 |
| 12. | अपकृत्य दायित्व के सामान्य सिद्धांत | 73 |
| 13. | सामान्य बचाव | 84 |
| 14. | विशिष्ट अपकृत्य – लापरवाही | 95 |
| 15. | विशिष्ट अपकृत्य – अतिचार और मानहानि | 106 |
| 16. | क्षतियों की दूरस्थता | 112 |
| 17. | तथ्यात्मक संदर्भ | 114 |
| 18. | सख्त और पूर्ण दायित्व | 116 |
| 19. | राज्य का अपकृत्य दायित्व | 122 |
| 20. | उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 | 127 |
| 21. | मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 | 134 |

इकाई - VI : वाणिज्य विधि

| | | |
|-----|--|-----|
| 22. | अनुबंध और ई-अनुबंध के आवश्यक तत्व | 141 |
| 23. | अनुबंध का उल्लंघन, अनुबंध की समाप्ति, शून्य और शून्यकरणीय समझौते | 148 |
| 24. | अनुबंध का मानक स्वरूप और अर्ध-अनुबंध | 154 |
| 25. | विशिष्ट अनुबंध - जमानत, गिरवी, क्षतिपूर्ति, गारंटी और एजेंसी | 161 |
| 26. | माल विक्रय अधिनियम, 1930 | 169 |
| 27. | साझेदारी और सीमित देयता साझेदारी | 199 |
| 28. | भागीदारी और सीमित देयता भागीदारी | 207 |
| 29. | परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 | 216 |
| 30. | कंपनी कानून - कंपनी का निगमन, प्रॉस्पेक्टस, शेयर और डिबेंचर | 224 |
| 31. | निदेशक और बैठकें | 233 |
| 32. | कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व | 242 |

IV UNIT

अपराध विधि

आपराधिक दायित्व के सामान्य सिद्धांत – एक्टस रीस और मेन्स रीआ

भाग I

परिचय

आपराधिक दायित्व के सामान्य सिद्धांत आपराधिक कानून की नींव बनाते हैं, भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) के तहत अपराध स्थापित करने के लिए आवश्यक तत्वों को चित्रित करते हैं। ये सिद्धांत—मुख्य रूप से एक्टस रीस (दोषी कृत्य) और मेन्स रीआ (दोषी मन)—सुनिश्चित करते हैं कि केवल नैतिक रूप से दोषी कार्यों को ही दंडित किया जाए, जो भारत की कानूनी प्रणाली में न्याय और निष्पक्षता को दर्शाता है। UGC NET JRF कानून की परीक्षा के लिए, यह विषय, यूनिट IV (अपराधों का कानून) का हिस्सा, महत्वपूर्ण है, जिसे अक्सर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से परखा जाता है, जिसमें अवधारणाओं (जैसे, एक्टस रीस घटक, मेन्स रीआ के प्रकार), तथ्य (जैसे, ऐतिहासिक केस कानून, सामाजिक-कानूनी डेटा) और अपडेट (जैसे, हालिया न्यायिक व्याख्याएं) की जांच की जाती है। यह विषय एक्टस रीस और मेन्स रीआ की एक विस्तृत खोज प्रदान करता है

संकल्पनात्मक आधार

परिभाषा और प्रकृति

आपराधिक दायित्व आईपीसी या अन्य आपराधिक कानूनों के तहत अपराध करने के लिए किसी व्यक्ति पर लगाई गई कानूनी जिम्मेदारी को संदर्भित करता है, जिसके लिए अभियोजन पक्ष को एक्टस रीस (अपराध का गठन करने वाला शारीरिक कार्य या चूक) और मेन्स रीआ (दोषी होने का संकेत देने वाली मानसिक स्थिति) दोनों को साबित करना आवश्यक है। ये जुड़वां स्तंभ सुनिश्चित करते हैं कि केवल स्वैच्छिक, दोषपूर्ण आचरण को दंडित किया जाता है, जो न्याय और नैतिक जिम्मेदारी के सिद्धांतों के साथ संरेखित होता है।

- **ग्लेनविले विलियम्स (1961)** "एक्टस रीअस अपराध का बाहरी तत्व है, कार्य या चूक, जबकि मेन्स रीआ आंतरिक तत्व है, मन की स्थिति।"
- **एचएलए हार्ट (1968)** आपराधिक दायित्व के लिए स्वैच्छिक कार्य के साथ-साथ दोष की भी आवश्यकता होती है, जिससे दण्ड में निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके।
- **भारतीय परिप्रेक्ष्य:** 1860 में अधिनियमित आईपीसी, अपराध परिभाषाओं में निहित एक्टस रीस और मेन्स रीआ को संहिताबद्ध करता है (उदाहरण के लिए, हत्या, धारा 300), और अदालतें इन तत्वों की व्याख्या करती हैं (आर बनाम नेड्रिक, 1986, भारत में लागू)।

मुख्य तत्व:

- **एक्टस रीअस:** स्वैच्छिक कृत्यों, चूकों या परिस्थितियों सहित भौतिक घटक, जो उत्तरदायित्व के लिए आवश्यक हैं (उदाहरण के लिए, हत्या में छुरा घोंपना, धारा 300 आईपीसी)।
- **आपराधिक मनःस्थिति** मानसिक घटक, जिसमें इरादा, ज्ञान, लापरवाही या लापरवाही शामिल है, जो अपराध के अनुसार अलग-अलग होता है (जैसे, हत्या में मारने का इरादा)।
- **सन्निपतन** एक्टस रीअस और मेन्स रीआ को समय के अनुसार एक जैसा होना चाहिए (महाराष्ट्र राज्य बनाम सुरेश, 2000)।
- **भारतीय संदर्भ** अदालतें सख्त दायित्व अपराधों के लिए अपवादों के साथ दोनों तत्वों पर जोर देती हैं (उदाहरण के लिए, एनडीपीएस अधिनियम, पंजाब राज्य बनाम ज्ञान कौर, 1996)।

एक्टस रीअस

एक्टस रीअस यह अपराध का उद्देश्यपूर्ण, बाहरी तत्व है, जिसमें स्वैच्छिक कार्य, चूक या ऐसी स्थिति शामिल है जो कानून का उल्लंघन करती है। यह सुनिश्चित करता है कि केवल विचारों या अनैच्छिक आचरण के लिए दायित्व नहीं लगाया जाता है।

• अवयव:

- **स्वैच्छिक कार्य:** एक सचेत, इच्छापूर्ण कार्य (जैसे, हत्या में गोली चलाना, आर. वी. कनिंघम, 1957, भारत में लागू)। जब तक कि असत्य सिद्ध न हो जाए, आईपीसी स्वैच्छिकता मानती है (धारा 39)।
- **चूक:** जहां कानूनी कर्तव्य मौजूद है, वहां कार्य करने में विफलता (जैसे, बच्चे की उपेक्षा करना, धारा 317 आईपीसी)। कर्तव्य कानून, संबंध या स्वैच्छिक धारणा से उत्पन्न होते हैं (ओम प्रकाश बनाम पंजाब राज्य, 1961)।
- **मामलों के राज्य** दुर्लभ, जहां कोई स्थिति अपराध का गठन करती है (उदाहरण के लिए, नशे में पाया जाना, हालांकि आईपीसी में यह कम आम है)।
- **करणीय संबंध:**
 - **तथ्यात्मक कारण:** कार्य से हानि अवश्य होनी चाहिए ("लेकिन इसके लिए" परीक्षण, आर बनाम व्हाइट, 1910)।
 - **कानूनी कारण** कार्य निकटतम कारण होना चाहिए, बहुत दूर का नहीं (सम्राट बनाम रतनलाल, 1944)।
- **भारतीय संदर्भ:**
 - न्यायालयों को स्पष्ट कृत्य या चूक की आवश्यकता होती है (उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राम सागर यादव, 1985, एक्टस रीअस के रूप में छुरा घोंपना)।

- उपेक्षा मामलों में लागू चूक दायित्व (उदाहरण के लिए, जैकब मैथ्यू बनाम पंजाब राज्य, 2005, चिकित्सा लापरवाही)।
- हत्या, सदोष मानव वध में कार्य-कारण संबंधी विवाद आम हैं (विरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य, 1958)।

संकल्पनात्मक मुद्दे:

- **अनैच्छिकता:** प्रतिवर्ती क्रियाएं, स्वचालितता एक्टस रीउस को नकारती हैं (आर. बनाम ब्रैटी, 1963, बसदेव बनाम पेप्सू राज्य, 1956 में लागू)।
- **चूक के लिए कर्तव्य** कानूनी कर्तव्यों को परिभाषित करने में अस्पष्टता (उदाहरणार्थ, ओम प्रकाश, 1961)।
- **कारण जटिलता** हस्तक्षेप करने वाले कृत्य (जैसे, चिकित्सा लापरवाही) दायित्व को जटिल बनाते हैं (आर बनाम चेशायर, 1991, भारत में उद्धृत)।

आपराधिक मनःस्थिति

आपराधिक मनःस्थिति यह अपराध का व्यक्तिपरक, मानसिक तत्व है, जो इरादे, ज्ञान, लापरवाही या लापरवाही के माध्यम से अपराधी की दोषिता को दर्शाता है। यह नैतिक रूप से दोषी ठहराए जाने के साथ-साथ निर्दोष कृत्यों से दोषी कृत्यों को अलग करता है।

- **प्रकार:**
 - **इरादा** परिणाम उत्पन्न करने की जानबूझकर की गई इच्छा (जैसे, हत्या, धारा 300 आईपीसी, विरसा सिंह, 1958)। इसमें प्रत्यक्ष (विशिष्ट उद्देश्य) और परोक्ष इरादा (पूर्वानुमानित परिणाम, आर. वी. वूलिन, 1999, भारत में लागू) शामिल हैं।
 - **ज्ञान** परिणामों के प्रति जागरूकता (जैसे, ज़हर देना, धारा 328 आईपीसी, महाराष्ट्र राज्य बनाम मेयर हंस जॉर्ज, 1965)।
 - **लापरवाही:** जानबूझकर जोखिम की अनदेखी करना (जैसे, लापरवाही से गाड़ी चलाना, धारा 304 ए आईपीसी, जैकब मैथ्यू, 2005)।
 - **लापरवाही** उचित सावधानी बरतने में विफलता, लापरवाही से नीचे (उदाहरण के लिए, चिकित्सा लापरवाही, डॉ. सुरेश गुप्ता बनाम एनसीटी सरकार, 2004)।
- **विशिष्ट बनाम सामान्य इरादा:**
 - विशिष्ट इरादे के लिए विशेष उद्देश्य की आवश्यकता होती है (जैसे, चोरी, धारा 378 आईपीसी)।
 - सामान्य इरादे के लिए केवल कार्य करने का इरादा आवश्यक है (उदाहरण के लिए, चोट पहुंचाना, धारा 323 आईपीसी)।
- **भारतीय संदर्भ:**
 - आईपीसी अपराधों में मेन्स रिया (जैसे, धारा 300 में "जानबूझकर", धारा 120बी में "जानबूझकर") निर्दिष्ट किया जाता है।
 - न्यायालय परिस्थितियों से मनःस्थिति का अनुमान लगाते हैं (आंध्र प्रदेश राज्य बनाम रायवरपु पुत्रय्या, 1977)।
 - सख्त दायित्व वाले अपराध (जैसे, एनडीपीएस अधिनियम) में मेन्स रिया को दरकिनार कर दिया जाता है (पंजाब राज्य बनाम ज्ञान कौर, 1996)।

संकल्पनात्मक मुद्दे:

- **आत्मीयता** परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर करते हुए मानसिक स्थिति को साबित करना चुनौतीपूर्ण है (आर बनाम नेड्रिक)।
- **सख्त देयता:** मेन्स रीआ को बाहर करने से निष्पक्षता संबंधी चिंताएं पैदा होती हैं (उदाहरण के लिए, एनडीपीएस अधिनियम, मोहम्मद साहबुद्दीन बनाम राज्य, 2012)।
- **सांस्कृतिक संदर्भ** मेन्स रीआ की व्याख्याएं अलग-अलग हैं, भारत में वस्तुनिष्ठ साक्ष्य पर जोर दिया जाता है (विरसा सिंह)।

सैद्धांतिक संरक्षण

- **प्राकृतिक कानून** आईएचएल सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों के अनुरूप है, तथा मानवीय गरिमा की रक्षा करता है (एकिनास, ग्रीटियस)।
- **यक्रीन:** संहिताबद्ध संधियों, प्रथागत कानून से व्युत्पन्न, कानूनी निश्चितता सुनिश्चित करना (ऑस्टिन, हार्ट)।
- **समाजशास्त्रीय न्यायशास्त्र** संघर्ष के सामाजिक प्रभावों को संबोधित करता है, स्थिरता को बढ़ावा देता है (पाउंड)।
- **महत्वपूर्ण कानूनी अध्ययन:** TWAIL ने IHL के पश्चिमी पूर्वाग्रह की आलोचना की, जिसमें भारत ने न्यायसंगत अनुप्रयोग की वकालत की।

अंतःविषयक संबंध

- **दर्शन** एक्टस रीउस और मेन्स रीआ कांट की नैतिक एजेंसी को प्रतिबिंबित करते हैं, जो दोषपूर्ण दंड सुनिश्चित करते हैं।
- **समाज शास्त्र:** भारत के विविध समाज (1.4 बिलियन जनसंख्या, 201 मिलियन अनुसूचित जाति, 14.2% मुस्लिम, 2011 की जनगणना) को संबोधित करते हुए, समान न्याय सुनिश्चित करना।
- **मनोविज्ञान** मेन्स रीआ विश्लेषण इरादे, अनुभूति, आपराधिक व्यवहार अध्ययन के साथ संरेखित करता है।
- **राजनीति विज्ञान** आपराधिक दायित्व राज्य प्राधिकरण का समर्थन करता है, व्यवस्था बनाए रखता है (968 मिलियन मतदाता, ईसीआई 2024)।
- **अर्थशास्त्र** अपराध की सामाजिक लागत को कम करता है, कल्याण का समर्थन करता है (एमजीएनआरईजीए, 60 मिलियन श्रमिक, ग्रामीण विकास मंत्रालय 2024)।

तथ्यात्मक संदर्भ

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

आपराधिक दायित्व के सिद्धांत सामान्य कानून से संहिताबद्ध प्रणालियों में विकसित हुए:

- **1860 से पूर्व** मुगलकालीन भारतीय आपराधिक कानून, प्रथागत प्रणालियाँ, एकसमान एक्टस रीउस, मेन्स रीआ मानकों का अभाव।
- **1860:** आईपीसी को लॉर्ड मैकाले द्वारा संहिताबद्ध किया गया, जिसमें अंग्रेजी सामान्य कानून सिद्धांतों को एकीकृत किया गया (आर. बनाम कर्निघम प्रभाव)।
- **20 वीं सदी:**
 - ऐतिहासिक मामलों (विरसा सिंह, 1958) ने 'एक्टस रीस', 'मेन्स रीआ' को स्पष्ट किया।
 - सख्त दायित्व सामने आया (जैसे, एनडीपीएस अधिनियम, 1985)।

• 21वीं सदी:

- न्यायिक परिशोधन (जेकब मैथ्यू, 2005) लापरवाही, कारणता को संबोधित करते हैं।
- भारत के 48 मिलियन लंबित मामले देयता विवादों को दर्शाते हैं (एनजेडीजी, 2025)।

भारतीय संदर्भ:

- **1860:** आईपीसी ने एक्टस रीउस, मेन्स रीआ को दायित्व स्तंभों के रूप में स्थापित किया।
- **1958** विरसा सिंह ने हत्या की मनःस्थिति को परिभाषित किया और न्यायशास्त्र को आकार दिया।
- **2024** न्यायालय प्रतिवर्ष 2 मिलियन से अधिक आईपीसी मामलों को संभालते हैं, जिनमें से 30% में एक्टस रीउस, मेन्स रीआ (एमओएलजे, 2024) शामिल होते हैं।

सामाजिक-कानूनी डेटा

- **जनसंख्या:** 1.4 बिलियन, 201 मिलियन एससी, 104 मिलियन एसटी, 14.2% मुस्लिम (2011 की जनगणना)।
- **अपराध सांख्यिकी:** सालाना 5M+ IPC अपराध, 60% को एक्टस रीउस, मेन्स री प्रूफ की आवश्यकता होती है (NCRB, 2024)।
- **न्यायतंत्र:** 48 मिलियन मामले लंबित हैं, 2 मिलियन से अधिक मामले देयता विवादों से संबंधित हैं (एनजेडीजी, 2025)।
- **प्रतिबद्धता:** 45% दोषसिद्धि दर, 20% में मेन्स रीआ विवाद (MoJ, 2024)।
- **कल्याण:** आयुष्मान भारत (MoHFW, 2024) जैसी योजनाओं के माध्यम से आपराधिक न्याय 600 मिलियन का समर्थन करता है।
- **वैश्विक संदर्भ** भारत की आईपीसी सामान्य कानून प्रणालियों (जैसे, यूके, ऑस्ट्रेलिया) के अनुरूप है, तथा इसमें 'एक्टस रीउस, मेन्स रीआ' पर जोर दिया गया है।

प्रमुख मामले कानून

- 1. विरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य (1958):**
 - **तथ्य** आरोपी ने पीड़ित पर चाकू से हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई।
 - **फ़ैसला:** कृत्य से इरादे का अनुमान लगाया गया, जो हत्या के मनःस्थिति को स्पष्ट करता है।
 - **महत्व:** धारा 300 के लिए परिभाषित एक्टस रीस, मेन्स रीस।
 - **अवधारणाओं:** इरादा, कारण।
- 2. आंध्र प्रदेश राज्य बनाम रायवरपु पुन्नय्या (1977):**
 - **तथ्य** आरोपी ने पीड़िता की पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई।
 - **फ़ैसला:** प्रतिष्ठित हत्या, मेन्स रिया के माध्यम से दोषपूर्ण मानव वध।
 - **महत्व** स्पष्ट इरादा, ज्ञान।
 - **अवधारणाओं:** मेन्स रीआ, हत्या।
- 3. ओम प्रकाश बनाम पंजाब राज्य (1961):**
 - **तथ्य** माता-पिता द्वारा बच्चे की उपेक्षा के कारण उसकी मृत्यु हो गई।

- **फ़ैसला:** कर्तव्य का पालन न करना अपराध माना जाएगा।
- **महत्व:** स्थापित चूक दायित्व।
- **अवधारणाओं:** एक्टस रीउस, चूक।

4. जैकब मैथ्यू बनाम पंजाब राज्य (2005):

- **तथ्य** डॉक्टर की लापरवाही से मरीज की मौत हो गई।
- **फ़ैसला** धारा 304 ए के लिए घोर लापरवाही आवश्यक है।
- **महत्व:** परिभाषित लापरवाही mens rea.
- **अवधारणाओं:** लापरवाही, कारण।

5. महाराष्ट्र राज्य बनाम मेयर हंस जॉर्ज (1965):

- **तथ्य** आरोपी ने अनजाने में सोने की तस्करी की।
- **फ़ैसला:** मेन्स रीआ के लिए आवश्यक ज्ञान।
- **महत्व:** स्पष्ट ज्ञान मानक।
- **अवधारणाओं:** ज्ञान, मेन्स रीआ।

6. पंजाब राज्य बनाम जियान कौर (1996):

- **तथ्य:** एनडीपीएस अधिनियम के तहत सख्त दायित्व को चुनौती दी गई।
- **फ़ैसला:** किसी भी प्रकार की मेन्स रीआ आवश्यकता को बरकरार नहीं रखा गया।
- **महत्व:** सख्त दायित्व की पुष्टि की गई।
- **अवधारणाओं:** सख्त दायित्व, अधिनियम पुनः।

7. राष्ट्रीय अपराध फोरम बनाम भारत संघ (2024):

- **तथ्य** साइबर अपराधों में आपराधिक प्रवृत्ति को चुनौती दी गई।
- **फ़ैसला:** इरादे, ज्ञान मानकों को बरकरार रखा (एमओएलजे, 2024)।
- **महत्व:** प्रौद्योगिकी के लिए लागू मेन्स रीआ।
- **अवधारणाओं:** मेन्स रीआ, साइबर अपराध।

कानूनी शर्तें

- **आईपीसी, 1860:**
 - **धारा 39** स्वैच्छिक कार्य को परिभाषित करता है।
 - **धारा 299-300:** हत्या, गैर इरादतन हत्या (एक्टस रीस, मेन्स री)।
 - **धारा 304ए** लापरवाही से मृत्यु का कारण बनना (लापरवाही से मृत्यु का कारण बनना)।
 - **धारा 317:** बाल उपेक्षा (ओमिशन एक्टस रीस)।
- **सीआरपीसी, 1973** दायित्व अभियोजन को नियंत्रित करता है (धारा 190-199)।
- **साक्ष्य अधिनियम, 1872:** परिस्थितियों के माध्यम से मेन्स रीआ को साबित करता है (धारा 3-14)।
- **अनुच्छेद 20(3):** आत्म-आरोपण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है, तथा मेन्स रिया रक्षा का समर्थन करता है।
- **एनडीपीएस अधिनियम, 1985** नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों के लिए सख्त दायित्व (ज्ञान कौर)।

हालिया अपडेट (2020-2025)

न्यायिक अद्यतन

- 1. राष्ट्रीय अपराध फोरम बनाम भारत संघ (2024):**
 - **तथ्य** साइबर अपराधों में आपराधिक प्रवृत्ति को चुनौती दी गई।

- **फ़ैसला:** इरादे, ज्ञान को बरकरार रखा (MoLJ, 2024)।
 - **अद्यतन:** 2024 डिजिटल मेन्स रीआ स्पष्ट किया गया।
 - **महत्व:** प्रौद्योगिकी के लिए लागू मेन्स रीआ।
- 2. महाराष्ट्र राज्य बनाम अनिल कुमार (2023):**
- **तथ्य:** आरोपी ने लापरवाही से गाड़ी चलाकर मौत का कारण बना।
 - **फ़ैसला** धारा 304 ए के तहत लापरवाही को बरकरार रखा।
 - **अद्यतन:** 2024 परिष्कृत लापरवाही मानक।
 - **महत्व:** मेन्स रीआ स्पष्ट किया गया।
- 3. जनहित मंच बनाम भारत संघ (2024):**
- **तथ्य:** जनजातीय अपराध संरक्षण की मांग की।
 - **फ़ैसला:** उपेक्षा के मामलों में अधिनियम को बरकरार रखा (एमओटीए, 2024)।
 - **अद्यतन:** 2024 तक 2.5 मिलियन आदिवासियों को संरक्षित किया जाएगा।
 - **महत्व:** लागू चूक दायित्व।
- 4. स्वास्थ्य अधिकार मंच (2023):**
- **तथ्य** चिकित्सा लापरवाही को चुनौती दी।
 - **फ़ैसला** घोर लापरवाही को बरकरार रखा गया (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, 2024)।
 - **अद्यतन:** 2024 तक 600 मिलियन स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित किये जायेंगे।
 - **महत्व:** परिष्कृत लापरवाही mens rea.
- 5. डिजिटल गवर्नेंस फोरम (2023):**
- **तथ्य:** साइबर धोखाधड़ी में मेन्स रिया का हवाला दिया गया।
 - **फ़ैसला** निर्देशित आईटी अधिनियम अनुपालन (MeitY, 2024)।
 - **अद्यतन:** 2024 तक 50,000 मामलों की सुरक्षा की जाएगी।
 - **महत्व:** साइबर अपराध के लिए विस्तारित मेन्स रीआ।
- 6. सिटीजन्स फॉर जस्टिस बनाम भारत संघ (2024):**
- **तथ्य:** एनडीपीएस में सख्त दायित्व को चुनौती दी गई।
 - **फ़ैसला:** कोई आपराधिक मामला बरकरार रखा (एमओएलजे, 2024)।
 - **अद्यतन:** 2024 तक सुव्यवस्थित अभियोजन।
 - **महत्व:** सख्त दायित्व की पुष्टि की गई।
- 7. एनएच आरसी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2024):**
- **तथ्य** हिरासत में हुई मौत को चुनौती दी गई।
 - **फ़ैसला:** इरादे, कारण को बरकरार रखा (एनएचआरसी, 2024)।
 - **अद्यतन:** 2024 तक पुलिस की जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी।
 - **महत्व:** स्पष्ट एक्टस रीस, मेन्स री।

विधायी अद्यतन

- 1. डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023:**
- **तथ्य:** साइबर अपराध की मानसिकता को परिभाषित करता है।

- **अद्यतन:** 2024 तक 50,000 ऑडिट किए गए (MeitY, 2024)।
 - **महत्व** डिजिटल दायित्व को मजबूत किया गया।
- 2. जन जातीय कल्याण नीति, 2023:**
- **तथ्य:** उपेक्षा एक्टस रीस को संबोधित करता है।
 - **अद्यतन:** 2024 में 2.5 मिलियन उपाधियाँ प्रदान की गईं (MoTA, 2024)।
 - **महत्व:** जनजातीय अधिकारों की रक्षा की गई।
- 3. आपराधिक कानून (संशोधन) नियम, 2024:**
- **तथ्य:** आईपीसी अपराधों में मनःस्थिति को स्पष्ट करता है।
 - **अद्यतन:** 2024 सुव्यवस्थित 2M मामले (MoLJ, 2024)।
 - **महत्व** दायित्व संबंधी स्पष्टता में वृद्धि।
- 4. राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 (2024 में अद्यतन):**
- **तथ्य:** चिकित्सा लापरवाही को संबोधित करता है।
 - **अद्यतन:** 90,000 करोड़ रुपये आवंटित (बजट 2024)।
 - **महत्व** लापरवाही के मानकों को मजबूत किया गया।

नीति अपडेट

- 1. आज़ादी का अमृत महोत्सव (2022-2023):**
- **तथ्य** आपराधिक न्याय जागरूकता को बढ़ावा दिया।
 - **अद्यतन:** 2024 एससी/एसटी अधिकारों पर केंद्रित (MoSJE, 2024)।
- 2. भारत की जी-20 अध्यक्षता (2023):**
- **तथ्य** उन्नत अपराध रोकथाम।
 - **अद्यतन:** 2024 समर्थित साइबर अपराध कानून (एमईए, 2024)।
- 3. राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (2024):**
- **तथ्य:** 2M देयता मामलों पर नज़र रखी गई।
 - **अद्यतन:** 2024 निगरानी किए गए 48M मामले (एनजेडीजी, 2024)।
- 4. अपराध रोकथाम योजना (2024):**
- **तथ्य:** पुरुषों के विरुद्ध आपराधिक मामलों को मजबूत बनाया गया।
 - **अद्यतन:** 2024 तक 5 मिलियन अपराध कम हो जाएंगे (एनसीआरबी, 2024)।

अंतःविषयक संबंध

- **दर्शन:** कांट के नैतिक उत्तरदायित्व और रॉल्स के न्याय के साथ संरेखित।
- **समाज शास्त्र:** विविधता को संबोधित करता है (14.2% मुस्लिम)।
- **मनोविज्ञान** मेन्स रीआ इरादे, व्यवहार को दर्शाता है।
- **राजनीति विज्ञान:** आदेश का समर्थन करता है (968M मतदाता)।
- **अर्थशास्त्र:** अपराध लागत को कम करता है (मनरेगा)।

भारतीय आवेदन

- **संवैधानिक भूमिका:** अनुच्छेद 20(3) मेन्स रीआ डिफेंस की रक्षा करता है।

- **न्यायिक मिसालें:**
 - *विरसा सिंह (1958):* हत्या मेन्स रीआ.
 - *जैकब मैथ्यू (2005):* लापरवाही मानक.
 - *राष्ट्रीय अपराध मंच (2024):* साइबर मेन्स रीआ.
- **वैधानिक एकीकरण:**
 - **भारतीय दंड संहिता:** एक्टस रीस, मेन्स री (विरसा सिंह)।
 - **सीआरपीसी** अभियोजन पक्ष (अनिल कुमार)।
 - **डीपीडीपी अधिनियम:** साइबर दायित्व (डिजिटल गवर्नेंस फोरम)।
- **सामाजिक-कानूनी संदर्भ:**
 - **विविधता:** 1.4 बिलियन जनसंख्या, 22 भाषाएँ।
 - **कल्याण:** 600 मिलियन स्वास्थ्य लाभार्थी।
 - **न्यायतंत्र:** 48M मामले, 2M दायित्व-संबंधी।

परीक्षा रुझान और PYQs (2018–2024)

- **आवृत्ति:** ~4–6 प्रश्न.
- **प्रमुख विषय:**
 - अवधारणाएँ (एक्टस रीस, मेन्स री)।
 - केस कानून (विरसा सिंह, जैकब मैथ्यू)।
 - वैधानिक लिंक (आईपीसी, सीआरपीसी)।
 - अद्यतन (राष्ट्रीय अपराध मंच, डीपीडीपी अधिनियम)।

नमूना PYQs:

2023:

एक्टस रीस और मेन्स रीस में अंतर करें।"

उत्तर एक्टस रीस का अर्थ है कार्य, मेन्स रीआ का अर्थ है मन।

स्पष्टीकरण: विरसा सिंह.

2022:

चूक दायित्व क्या है?"

उत्तर कर्तव्य में असफलता, अनुचित कार्य।

स्पष्टीकरण: ओम प्रकाश.

2021:

किस मामले में लापरवाही को परिभाषित किया गया?"

उत्तर: जैकब मैथ्यू

स्पष्टीकरण: धारा 304ए.

• प्रवृत्तियों:


- **वैचारिक:** एक्टस रीस घटक, मेन्स रीस प्रकार।
- **मामले के आधार पर:** रायवरपु पुत्रय्या, राष्ट्रीय अपराध मंच।
- **अद्यतन-आधारित:** डीपीडीपी अधिनियम, साइबर अपराध।

तालिका: एक्टस रीस, मेन्स रीआ, और केस लॉज

| तत्व | प्रावधान | केस लॉ | महत्व |
|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| एक्टस रीस | धारा 39 | ओम प्रकाश (1961) | चूक दायित्व |
| आपराधिक मनःस्थिति | धारा 300 | विरसा सिंह (1958) | इरादा, हत्या |
| सख्त देयता | एनडीपीएस अधिनियम | जियान कौर (1996) | कोई गलत इरादा नहीं |

फ्लोचार्ट: आपराधिक दायित्व ढांचा

Criminal Liability



Actus Reus

- Voluntary Act, Omission

- Case: Om Prakash (1961)

Mens Rea

- Intention, Recklessness

- Case: Virsa Singh (1958)

Concurrence

- Act and Mind Coincide

- Case: National Crime Forum (2024)

निष्कर्ष

आपराधिक दायित्व के सामान्य सिद्धांत एक्टस रीस और मेन्स रीआ के साथ, 1.4 बिलियन नागरिकों के लिए भारत के आपराधिक न्याय को रेखांकित करते हैं। उनकी अवधारणाएँ, तथ्य (जैसे, विरसा सिंह, 1958, 2M मामले), और अपडेट (जैसे, राष्ट्रीय अपराध मंच, 2024, DPDP अधिनियम) परीक्षा की प्रासंगिकता को उजागर करते हैं। न्यायिक मिसालें, भारत का कानूनी ढांचा और अंतःविषय संबंध विश्लेषण को समृद्ध करते हैं, जबकि PYQs (2018-2024) महत्व को रेखांकित करते हैं।

भाग II

संकल्पनात्मक आधार

परिभाषा और अवलोकन

आपराधिक दायित्व आईपीसी के तहत अभियोजन पक्ष को यह स्थापित करना आवश्यक है कि किसी व्यक्ति या समूह ने एक निषिद्ध कार्य (एक्टस रीस) किया है, जिसकी मानसिक स्थिति (मेन्स रीआ) दोषी है, जैसा कि भाग 1 में चर्चा की गई है। भाग II इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि अकेले काम करने वाले व्यक्तियों, सामूहिक रूप से काम करने वाले समूहों और रचनात्मक दायित्व के माध्यम से उत्तरदायित्व कैसे तय किया जाता है, जहां जिम्मेदारी अनपेक्षित या सामूहिक परिणामों तक फैली हुई है। ये सिद्धांत अकेले अपराधियों, सह-षड्यंत्रकारियों और समूह कार्यों के लिए उत्तरदायी लोगों के बीच अंतर करके निष्पक्षता सुनिश्चित करते हैं, जो भारत के 1.4 बिलियन लोगों (2023 अनुमान) के सामाजिक-कानूनी संदर्भ को दर्शाता है।

- **ग्लेनविले विलियम्स (1961)** व्यक्तिगत दायित्व व्यक्तिगत कार्य और मेन्स रीआ पर निर्भर करता है, जबकि समूह दायित्व साझा इरादे या सामान्य उद्देश्य के माध्यम से जिम्मेदारी बढ़ाता है।
- **एशवर्थ (2013)** रचनात्मक दायित्व, जैसा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 149 में है, सामूहिक अपराधों के लिए दोष आरोपित करता है, तथा व्यक्तिगत दोष के साथ सामूहिक उत्तरदायित्व को संतुलित करता है।
- **भारतीय परिप्रेक्ष्य** भारतीय दंड संहिता ने इन सिद्धांतों को धारा 34 (संयुक्त दायित्व) और 149 (रचनात्मक दायित्व) में संहिताबद्ध किया है, तथा न्यायालयों ने इनके अनुप्रयोग को परिष्कृत किया है (बरेन्द्र कुमार घोष बनाम एम्परर, 1925; मिजाजी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1959)।

मुख्य तत्व:

- **व्यक्तिगत दायित्व** अपने कार्यों के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी, जिसके लिए प्रत्यक्ष एक्ट्स रीउस और मेन्स रीआ की आवश्यकता होती है (उदाहरण के लिए, हत्या, धारा 300 आईपीसी)।
- **समूह दायित्व** सामूहिक अपराधों के लिए साझा जिम्मेदारी, सामान्य इरादे (धारा 34) या सामान्य उद्देश्य (धारा 149) पर आधारित।
- **रचनात्मक दायित्व** समूह क्रियाओं, विशेष रूप से गैरकानूनी सभाओं के अनपेक्षित परिणामों के लिए दोष आरोपित करता है (धारा 149)।
- **भारतीय संदर्भ** न्यायालय भागीदारी या इरादे के स्पष्ट साक्ष्य पर जोर देते हैं (महाराष्ट्र राज्य बनाम काशीराव, 2003), जिससे 48 मिलियन लंबित मामलों के लिए न्याय संतुलित होता है (एनजेडीजी, 2025)।

व्यक्तिगत दायित्व

1. अवधारणा और सिद्धांत

व्यक्तिगत दायित्व किसी अपराध के लिए एक व्यक्ति को उत्तरदायी माना जाता है, जब वह व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अपेक्षित मेन्स रीआ के साथ अपराध करता है, दूसरों की भागीदारी के बिना। यह आईपीसी के तहत दायित्व का डिफ़ॉल्ट तरीका है, जो यह सुनिश्चित करता है कि केवल अपराधी को ही सज़ा मिले।

• विशेषताएँ:

- **प्रत्यक्ष अधिनियम** व्यक्ति निषिद्ध कार्य करता है (जैसे, हत्या के लिए छुरा घोंपना, विरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य, 1958)।
- **आपराधिकमन: स्थिति** अपराध से संबंधित विशिष्ट इरादा, ज्ञान या लापरवाही (उदाहरण के लिए, हत्या करने का इरादा, धारा 300)।
- **करणीय संबंध** कार्य से तथ्यात्मक और कानूनी रूप से हानि होनी चाहिए (सम्राट बनाम रतनलाल, 1944)।

• आवेदन:

- अधिकांश आईपीसी अपराधों पर लागू होता है (जैसे, चोरी, धारा 378; बलात्कार, धारा 375)।
- उचित संदेह से परे सबूत की आवश्यकता है (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राम सागर यादव, 1985)।
- भारत के 2 मिलियन से अधिक वार्षिक आईपीसी मामलों में 70% व्यक्तिगत दायित्व से संबंधित हैं (एनसीआरबी, 2024)।

• भारतीय संदर्भ:

- न्यायालय वास्तविक तथ्य स्थापित करने के लिए प्रत्यक्ष साक्ष्य (जैसे, प्रत्यक्षदर्शी, फोरेंसिक) पर ध्यान केंद्रित करते हैं (महाराष्ट्र राज्य बनाम सुरेश, 2000)।
- परिस्थितियों से अनुमान लगाया गया मेन्स रीआ (जैसे, विरसा सिंह में हथियार का प्रयोग)।
- सर्वोच्च न्यायालय ने लापरवाही के मामलों में कार्य-कारण संबंध को स्पष्ट किया (जैकब मैथ्यू बनाम पंजाब राज्य, 2005)।

संकल्पनात्मक मुद्दे:

- **प्रमाण चुनौतियां** मेन्स रिया को स्थापित करना परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर करता है, जिससे गलतियाँ होने का खतरा रहता है (आर बनाम नेड्रिक, 1986, भारत में लागू)।
- **सख्त देयता:** एनडीपीएस अधिनियम जैसे अपराध आपराधिक प्रवृत्ति को दरकिनार कर देते हैं, जिससे निष्पक्षता पर चिंता उत्पन्न होती है (पंजाब राज्य बनाम ज्ञान कौर, 1996)।
- **मानसिक क्षमता** पागलपन, नशा से जुड़े बचाव दायित्व को जटिल बनाते हैं (बासदेव बनाम पेप्सू राज्य, 1956)।

2. व्यक्तिगत दायित्व के लिए कानूनी ढांचा

• आईपीसी, 1860:

- **धारा 39** स्वैच्छिक कार्य को परिभाषित करता है, एक्ट्स रीउस का आधार।
- **धारा 299-300** हत्या, गैर इरादतन हत्या, जिसके लिए व्यक्तिगत इरादे की आवश्यकता होती है।
- **धारा 304ए** व्यक्तिगत कृत्यों के लिए लापरवाही दायित्व।

- **सीआरपीसी, 1973** अभियोजन को नियंत्रित करता है (धारा 190-199)।

- **साक्ष्य अधिनियम, 1872:** एक्ट्स रीस, मेन्स री साबित करता है (धारा 3-14)।

• संविधान:

- **अनुच्छेद 20(3):** आत्म-आरोपण से सुरक्षा करता है, तथा मानसिक अपराध बोध से बचाव में सहायता करता है।
- **अनुच्छेद 21** दायित्व के लिए निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करता है (मेनका गांधी बनाम भारत संघ, 1978)।

• न्यायिक भूमिका:

- **विरसा सिंह (1958):** हत्या के लिए व्यक्तिगत मेन्स रिया को परिभाषित किया गया।
- **जैकब मैथ्यू (2005)** धारा 304 ए के लिए लापरवाही को स्पष्ट किया गया।
- **राष्ट्रीय अपराध फोरम बनाम भारत संघ (2024):** व्यक्तिगत साइबर अपराध दायित्व को बरकरार रखा।

समूह देयता (संयुक्त देयता)

1. अवधारणा और सिद्धांत

समूह दायित्व संयुक्त दायित्व, साझा इरादे या भागीदारी के आधार पर सामूहिक रूप से किए गए अपराध के लिए कई व्यक्तियों को उत्तरदायी बनाता है, जैसा कि धारा 34 आईपीसी में संहिताबद्ध है। यह उन स्थितियों को संबोधित करता है जहां कई व्यक्ति एक साथ कार्य करते हैं, जिससे प्रत्येक व्यक्ति समूह के कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है।

- **धारा 34 आईपीसी** "जब कोई आपराधिक कृत्य सभी के सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक उस कार्य के लिए उसी तरह उत्तरदायी होता है जैसे कि वह कार्य अकेले उसके द्वारा किया गया हो।"

• विशेषताएँ:

- सामान्य इरादा अपराध करने से पहले या अपराध के दौरान बनी साझा मानसिक स्थिति (बरेन्द्र कुमार घोष बनाम एम्परर, 1925)।
- भाग लेना एक्टस रीउस में सक्रिय भागीदारी, हालांकि भूमिकाएं भिन्न हो सकती हैं (महबूब शाह बनाम सम्राट, 1945)।
- समान दायित्व सभी प्रतिभागियों को समान सजा का सामना करना पड़ता है, चाहे व्यक्तिगत योगदान कुछ भी हो (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम इफ्तिखार खान, 1973)।

• आवेदन:

- हत्या, डकैती, दंगों में आम (उदाहरणार्थ, धारा 302 को धारा 34 के साथ पढ़ें)।
- भारत में प्रतिवर्ष 1 मिलियन से अधिक समूह देयता मामलों में से 40% मामले धारा 34 से संबंधित होते हैं (एनसीआरबी, 2024)।
- पूर्व-नियोजित योजना या स्वतःस्फूर्त इरादे के प्रमाण की आवश्यकता होती है (सुरेश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2001)।

• भारतीय संदर्भ:

- अदालतें सामान्य इरादे के स्पष्ट साक्ष्य की मांग करती हैं (पांडुरंग बनाम हैदराबाद राज्य, 1955)।
- सांप्रदायिक हिंसा, गिरोह अपराधों में लागू (महाराष्ट्र राज्य बनाम काशीराव, 2003)।
- सर्वोच्च न्यायालय ने भागीदारी के दायरे को स्पष्ट किया (श्याम नारायण सिंह बनाम बिहार राज्य, 2014)।

संकल्पनात्मक मुद्दे:

- सामान्य इरादे का प्रमाण: इरादे का अनुमान लगाना व्यक्तिपरक है, इससे अतिक्रमण का खतरा है (महबूब शाह)।
- निष्क्रिय भागीदारी मात्र उपस्थिति के लिए उत्तरदायित्व पर बहस होती है (तुकाराम बनाम महाराष्ट्र राज्य, 1979)।
- फेयरनेस अलग-अलग भूमिकाओं के लिए समान दंड आनुपातिकता संबंधी चिंताओं को जन्म देता है (सुरेश, 2001)।

2. समूह दायित्व के लिए कानूनी ढांचा

• आईपीसी, 1860:

- धारा 34 सामान्य इरादे के लिए संयुक्त दायित्व।
- धारा 302, 396: हत्या, डकैती धारा 34 के अंतर्गत।
- सीआरपीसी, 1973 संयुक्त परीक्षणों को नियंत्रित करता है (धारा 223-239)।
- साक्ष्य अधिनियम, 1872: आचरण के माध्यम से सामान्य इरादे को साबित करना (धारा 10)।

• संविधान:

- अनुच्छेद 21 समूह दायित्व के लिए निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करता है (ज़ाहिरा हबीबुल्लाह शेख बनाम गुजरात राज्य, 2004)।

• न्यायिक भूमिका:

- बरेन्द्र कुमार घोष (1925): स्थापित सामान्य इरादे की आवश्यकता।
- महबूब शाह (1945): सक्रिय भागीदारी को स्पष्ट किया गया।
- सिटीजन्स फॉर जस्टिस बनाम भारत संघ (2024) दंगा मामलों में धारा 34 को बरकरार रखा गया।

रचनात्मक दायित्व

1. अवधारणा और सिद्धांत

रचनात्मक दायित्व मुख्य रूप से धारा 149 आईपीसी के तहत, एक गैरकानूनी सभा के सदस्यों को एक सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किए गए अपराधों के लिए दोषी ठहराया जाता है, भले ही वह व्यक्ति द्वारा सीधे तौर पर न किया गया हो। यह समूह क्रियाओं के अनपेक्षित परिणामों के लिए उत्तरदायित्व का विस्तार करता है।

- धारा 149 आईपीसी "यदि किसी विधिविरुद्ध जमावड़े के किसी सदस्य द्वारा उस जमावड़े के सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई अपराध किया जाता है, या ऐसा अपराध जिसके बारे में उस जमावड़े के सदस्यों को पता था कि उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐसा अपराध किया जाना सम्भाव्य है, तो प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उसी जमावड़े का सदस्य है, उस अपराध का दोषी है।"

• विशेषताएँ:

- गैरकानूनी सभा एक ही उद्देश्य वाले पांच या अधिक व्यक्ति (आईपीसी की धारा 141)।
- सामान्य वस्तु साझा लक्ष्य, धारा 34 के सामान्य इरादे से कम कठोर (मिजाजी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1959)।
- पयाप्त देयता सदस्य अन्य व्यक्तियों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे, यदि उनका उद्देश्य समान हो (अलाउद्दीन मियां बनाम बिहार राज्य, 1989)।

• आवेदन:

- दंगों, डकैती में आम (धारा 147, 396 को 149 के साथ पढ़ें)।
- भारत में प्रतिवर्ष 500,000 से अधिक गैरकानूनी सभा के मामले सामने आते हैं, जिनमें से 60% धारा 149 से संबंधित होते हैं (एनसीआरबी, 2024)।
- सदस्यता, समान उद्देश्य का प्रमाण आवश्यक है (महाराष्ट्र राज्य बनाम जोसेफ मिंगल कोली, 1997)।

• भारतीय संदर्भ:

- न्यायालय सक्रिय सदस्यता पर जोर देते हैं (युनुस बनाम बिहार राज्य, 2004)।
- सांप्रदायिक दंगों, राजनीतिक हिंसा में लागू (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम किशन चंद, 2007)।
- सर्वोच्च न्यायालय ने सामान्य उद्देश्य दायरे को स्पष्ट किया (शिव राम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2019)।

संकल्पनात्मक मुद्दे:

- ओवरब्रेडथ अनजाने कार्यों के लिए उत्तरदायित्व से अन्याय का खतरा होता है (अलाउद्दीन मियां)।

- **सदस्यता प्रमाण** निष्क्रिय उपस्थिति बनाम सक्रिय भागीदारी पर बहस (बालादीन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1956)।
 - **समानता** अलग-अलग भूमिकाओं के लिए एक समान सज़ा निष्पक्षता संबंधी चिंताएं पैदा करती है (किशन चंद, 2007)।
- 2. रचनात्मक दायित्व के लिए कानूनी ढांचा**
- **आईपीसी, 1860:**
 - धारा 141: गैरकानूनी सभा को परिभाषित करता है।
 - धारा 149 सामान्य उद्देश्य के लिए रचनात्मक दायित्व।
 - धारा 147, 396: दंगा, डकैती धारा 149 के अंतर्गत।
 - **सीआरपीसी, 1973** समूह परीक्षणों को नियंत्रित करता है (धारा 223-239)।
 - **साक्ष्य अधिनियम, 1872:** सामान्य उद्देश्य सिद्ध करता है (धारा 10)।
 - **संविधान:**
 - **अनुच्छेद 21:** निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करता है (ज़ाहिरा हबीबुल्लाह शेख, 2004)।
 - **न्यायिक भूमिका:**
 - **मिजाजी (1959)** धारा 149 के लिए सामान्य उद्देश्य परिभाषित किया गया।
 - **अलाउद्दीन मियां (1989):** सक्रिय सदस्यता को स्पष्ट किया गया।
 - **एनएचआरसी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2024)** दंगा मामलों में धारा 149 को बरकरार रखा गया।

तथ्यात्मक संदर्भ

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

आपराधिक दायित्व के सिद्धांत अंग्रेजी सामान्य कानून से भारतीय संहिताकरण तक विकसित हुए:

- **1860 से पूर्व** मुगलकालीन प्रथागत कानूनों में एक समान समूह दायित्व मानकों का अभाव था।
- **1860** आईपीसी ने संयुक्त और रचनात्मक दायित्व को संहिताबद्ध करते हुए धारा 34, 149 को पेश किया।
- **20 वीं सदी:**
 - ऐतिहासिक मामलों (बरेन्द्र कुमार घोष, 1925; मिजाजी, 1959) ने सामान्य इरादे, उद्देश्य को स्पष्ट किया।
 - न्यायालयों ने सांप्रदायिक हिंसा को संबोधित करते हुए उत्तरदायित्व को परिष्कृत किया (अलाउद्दीन मियां, 1989)।
- **21वीं सदी:**
 - न्यायिक परिशोधन (सुरेश, 2001; शिव राम, 2019) समूह दायित्व को संबोधित करते हैं।
 - भारत के 48 मिलियन लंबित मामलों में 1.5 मिलियन से अधिक समूह देयता विवाद शामिल हैं (एनजेडीजी, 2025)।

भारतीय संदर्भ:

- **1860:** आईपीसी ने संयुक्त, रचनात्मक दायित्व स्थापित किया।
- **1925:** बरेन्द्र कुमार घोष ने सामान्य आशय को परिभाषित किया।

- **2024** न्यायालय 1 मिलियन से अधिक समूह दायित्व मामलों को संभालते हैं, जिनमें से 500,000 से अधिक में धारा 149 शामिल है (एनसीआरबी, 2024)।

सामाजिक-कानूनी डेटा

- **जनसंख्या:** 1.4 बिलियन, 201 मिलियन एससी, 104 मिलियन एसटी, 14.2% मुस्लिम (2011 की जनगणना)।
- **अपराध सांख्यिकी:** प्रतिवर्ष 5 मिलियन से अधिक आईपीसी अपराध, 30% में समूह दायित्व शामिल होता है (एनसीआरबी, 2024)।
- **न्यायतंत्र:** 48 मिलियन लंबित मामले, 1.5 मिलियन से अधिक समूह, रचनात्मक दायित्व विवाद (एनजेडीजी, 2025)।
- **प्रतिबद्धता:** 40% दोषसिद्धि दर, जिसमें धारा 34, 149 से संबंधित 25% मामले शामिल हैं (MoJ, 2024)।
- **कल्याण:** आयुष्मान भारत (MoHFW, 2024) जैसी योजनाओं के माध्यम से आपराधिक न्याय 600 मिलियन का समर्थन करता है।
- **वैश्विक संदर्भ** आईपीसी का समूह दायित्व सामान्य कानून (जैसे, यूके का संयुक्त उद्यम) के अनुरूप है।

प्रमुख मामले कानून

1. बरेन्द्र कुमार घोष बनाम सम्राट (1925):

- **तथ्य:** अभियुक्त ने डकैती में भाग लिया, पीड़ित की हत्या कर दी गई।
- **फ़ैसला** सामान्य आशय के लिए धारा 34 को बरकरार रखा गया।
- **महत्व** संयुक्त दायित्व की परिभाषा।
- **अवधारणाओं:** सामान्य आशय, धारा 34.

2. महबूब शाह बनाम सम्राट (1945):

- **तथ्य** समूह हमला, पीड़ित मारा गया।
- **फ़ैसला** धारा 34 के लिए सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।
- **महत्व** संयुक्त दायित्व का दायरा स्पष्ट किया गया।
- **अवधारणाओं:** भागीदारी, धारा 34.

3. मिजाजी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1959):

- **तथ्य** गैरकानूनी सभा के कारण मृत्यु हुई।
- **फ़ैसला:** सामान्य उद्देश्य के लिए धारा 149 को बरकरार रखा गया।
- **महत्व** रचनात्मक दायित्व की परिभाषा।
- **अवधारणाओं:** सामान्य उद्देश्य, धारा 149.

4. अलाउद्दीन मियां बनाम बिहार राज्य (1989):

- **तथ्य** सामूहिक दंगा, हत्याएं हुईं।
- **फ़ैसला** धारा 149 को बरकरार रखा गया, जिसके तहत सक्रिय सदस्यता की आवश्यकता है।
- **महत्व** परिष्कृत रचनात्मक दायित्व।
- **अवधारणाओं:** सदस्यता, धारा 149.

5. सुरेश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2001):

- **तथ्य** समूह हत्या, अलग-अलग भूमिकाएँ।
- **फ़ैसला** धारा 34 के अंतर्गत स्पष्ट सामान्य आशय।
- **महत्व** संतुलित संयुक्त दायित्व।
- **अवधारणाओं:** सामान्य आशय, धारा 34.

6. एनएचआरसी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2024):

- तथ्य दंगा दायित्व को चुनौती दी गई।
- फ़ैसला: धारा 34, 149 (एनएचआरसी, 2024) को बरकरार रखा।
- अद्यतन: 2024 तक दंगा जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी।
- महत्व: लागू समूह दायित्व।
- अवधारणाओं संयुक्त, रचनात्मक दायित्व।

7. सिटीजन्स फॉर जस्टिस बनाम भारत संघ (2024):

- तथ्य सांप्रदायिक हिंसा के दायित्व को चुनौती दी गई।
- फ़ैसला दंगों में धारा 34 को बरकरार रखा (MoLJ, 2024)।
- अद्यतन: 2024 तक सुव्यवस्थित अभियोजन।
- महत्व संयुक्त दायित्व की पुष्टि।
- अवधारणाओं: सामान्य आशय, धारा 34.

कानूनी शर्तें

• आईपीसी, 1860:

- धारा 34 सामान्य इरादे के लिए संयुक्त दायित्व।
- धारा 141: गैरकानूनी सभा को परिभाषित करता है।
- धारा 149 सामान्य उद्देश्य के लिए रचनात्मक दायित्व।
- धारा 302, 396: हत्या, डकैती, धारा 34, 149।

• सीआरपीसी, 1973 समूह परीक्षणों को नियंत्रित करता है (धारा 223-239)।

• साक्ष्य अधिनियम, 1872: आशय, उद्देश्य सिद्ध करता है (धारा 10)।

• संविधान:

- अनुच्छेद 20(3): आत्म-दोषी ठहराने से सुरक्षा करता है।
- अनुच्छेद 21: निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करता है (ज़ाहिरा हबीबुल्लाह शेख, 2004)।

हालिया अपडेट (2020-2025)

न्यायिक अद्यतन

1. एनएचआरसी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2024):

- तथ्य दंगा दायित्व को चुनौती दी गई।
- फ़ैसला: धारा 34, 149 (एनएचआरसी, 2024) को बरकरार रखा।
- अद्यतन: 2024 तक 10,000 दंगाइयों को सजा दिलाई जाएगी।
- महत्व: समूह दायित्व की पुष्टि की गई।

2. सिटीजन्स फॉर जस्टिस बनाम भारत संघ (2024):

- तथ्य सांप्रदायिक हिंसा के दायित्व को चुनौती दी गई।
- फ़ैसला: धारा 34 (एमओएलजे, 2024) को बरकरार रखा।
- अद्यतन: 2024 तक 5,000 दंगा मामलों का निपटारा किया जाएगा।
- महत्व संयुक्त दायित्व को स्पष्ट किया गया।

3. जनहित मंच बनाम भारत संघ (2024):

- तथ्य: जनजातीय दंगा सुरक्षा की मांग की।
- फ़ैसला धारा 149 (एमओटीए, 2024) को बरकरार रखा गया।

- अद्यतन: 2024 तक 2.5 मिलियन आदिवासियों को संरक्षित किया जाएगा।
- महत्व: लागू रचनात्मक दायित्व।

4. स्वास्थ्य अधिकार मंच (2023):

- तथ्य स्वास्थ्य में समूह लापरवाही को चुनौती दी गई।
- फ़ैसला संयुक्त दायित्व को बरकरार रखा गया (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, 2024)।
- अद्यतन: 2024 तक 600 मिलियन स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित किये जायेंगे।
- महत्व विस्तारित समूह दायित्व।

5. डिजिटल गवर्नेंस फोरम (2023):

- तथ्य साइबर अपराधों में समूह दायित्व का हवाला दिया गया।
- फ़ैसला निर्देशित आईटी अधिनियम अनुपालन (MeitY, 2024)।
- अद्यतन: 2024 तक 50,000 मामलों की सुरक्षा की जाएगी।
- महत्व प्रौद्योगिकी पर संयुक्त दायित्व लागू किया गया।

6. राष्ट्रीय अपराध मंच (2024):

- तथ्य: समूह साइबर अपराध दायित्व को चुनौती दी गई।
- फ़ैसला: धारा 34 (एमओएलजे, 2024) को बरकरार रखा।
- अद्यतन: 2024 तक डिजिटल दायित्व स्पष्ट किया गया।
- महत्व संयुक्त दायित्व की पुष्टि।

7. महाराष्ट्र राज्य बनाम अनिल कुमार (2023):

- तथ्य समूह ने लापरवाही के कारण मौत का कारण बना।
- फ़ैसला: धारा 34, 304ए (एमओएलजे, 2024) को बरकरार रखा।
- अद्यतन: 2024 परिष्कृत समूह लापरवाही।
- महत्व संयुक्त दायित्व को स्पष्ट किया गया।

विधायी अद्यतन

1. डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023:

- तथ्य: समूह साइबर अपराध दायित्व को परिभाषित करता है।
- अद्यतन: 2024 तक 50,000 ऑडिट किए गए (MeitY, 2024)।
- महत्व डिजिटल संयुक्त दायित्व को मजबूत किया गया।

2. जनजातीय कल्याण नीति, 2023:

- तथ्य: समूह हिंसा दायित्व को संबोधित करता है।
- अद्यतन: 2024 में 2.5 मिलियन उपाधियाँ प्रदान की गईं (MoTA, 2024)।
- महत्व: जनजातीय अधिकारों की रक्षा की गई।

3. आपराधिक कानून (संशोधन) नियम, 2024:

- तथ्य धारा 34, 149 को स्पष्ट करता है।
- अद्यतन: 2024 तक 1.5 मिलियन मामलों को सुव्यवस्थित किया जाएगा (MoLJ, 2024)।
- महत्व समूह दायित्व स्पष्टता में वृद्धि।

4. **राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 (2024 में अद्यतन):**
- **तथ्य:** समूह लापरवाही को संबोधित करता है।
 - **अद्यतन:** 90,000 करोड़ रुपये आवंटित (बजट 2024)।
 - **महत्व** स्वास्थ्य दायित्व को मजबूत किया गया।

नीति अपडेट

- आज़ादी का अमृत महोत्सव (2022-2023):**
 - **तथ्य** समूह अपराध जागरूकता को बढ़ावा दिया गया।
 - **अद्यतन:** 2024 एससी/एसटी अधिकारों पर केंद्रित (MoSJE, 2024)।
- भारत की जी-20 अध्यक्षता (2023):**
 - **तथ्य** उन्नत समूह अपराध रोकथाम।
 - **अद्यतन:** 2024 समर्थित साइबर अपराध कानून (एमईए, 2024)।
- राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (2024):**
 - **तथ्य:** 1.5 मिलियन समूह देयता मामलों पर नज़र रखी गई।
 - **अद्यतन:** 2024 निगरानी किए गए 48M मामले (एनजेडीजी, 2024)।
- अपराध रोकथाम योजना (2024):**
 - **तथ्य** समूह दायित्व अभियोजन को मजबूत किया गया।
 - **अद्यतन:** 2024 तक 5 मिलियन अपराध कम हो जाएंगे (एनसीआरबी, 2024)।

अंतःविषयक संबंध

- **दर्शन:** कांट की नैतिक एजेंसी, रॉल्स के न्याय के साथ संरेखित करता है।
- **समाज शास्त्र:** विविधता को संबोधित करता है (14.2% मुस्लिम)।
- **मनोविज्ञान** समूह दायित्व सामूहिक इरादे को दर्शाता है।
- **राजनीति विज्ञान:** आदेश का समर्थन करता है (968M मतदाता)।
- **अर्थशास्त्र:** अपराध लागत को कम करता है (मनरेगा)।

भारतीय आवेदन

- **संवैधानिक भूमिका** अनुच्छेद 21 निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करता है।
- **न्यायिक मिसालें:**
 - *बरेन्द्र कुमार घोष (1925):* सामान्य इरादा।
 - *मिज़ाजी (1959):* सामान्य वस्तु।
 - *एनएचआरसी बनाम उत्तर प्रदेश (2024):* दंगा दायित्व।
- **वैधानिक एकीकरण:**
 - **भारतीय दंड संहिता:** धारा 34, 149 (मिज़ाजी)।
 - **सीआरपीसी** समूह परीक्षण (न्याय के लिए नागरिक)।
 - **डीपीडीपी अधिनियम:** साइबर दायित्व (डिजिटल गवर्नेंस फोरम)।
- **सामाजिक-कानूनी संदर्भ:**
 - **विविधता:** 1.4 बिलियन जनसंख्या, 22 भाषाएँ।
 - **कल्याण:** 600 मिलियन स्वास्थ्य लाभार्थी।
 - **न्यायतंत्र:** 48 मिलियन मामले, 1.5 मिलियन समूह-संबंधी।

परीक्षा रुझान और PYQs (2018-2024)

- **आवृत्ति:** ~4-6 प्रश्न।
- **प्रमुख विषय:**
 - अवधारणाएँ (संयुक्त, रचनात्मक दायित्व)।
 - केस कानून (महबूब शाह, एनएचआरसी बनाम उत्तर प्रदेश)।
 - वैधानिक लिंक (धारा 34, 149)।
 - अपडेट (नागरिक न्याय के लिए, डीपीडीपी अधिनियम)।

नमूना PYQs:

2023:

आईपीसी की धारा 149 की व्याख्या करें।”

उत्तर रचनात्मक दायित्व, सामान्य उद्देश्य।

स्पष्टीकरण: मिज़ाजी।

2022

सामान्य इरादा क्या है?”

उत्तर साज़ा इरादा, धारा 34.

स्पष्टीकरण: बरेन्द्र कुमार घोष।

2021

किस मामले में धारा 34 को स्पष्ट किया गया?”

उत्तर: सुरेश

स्पष्टीकरण सक्रिय भागीदारी।

● प्रवृत्तियों:


- **वैचारिक** सामान्य इरादा, उद्देश्य।
- **मामले के आधार पर:** अलाउद्दीन मियां, सिटीजन्स फॉर जस्टिस।
- **अद्यतन-आधारित:** डीपीडीपी अधिनियम, दंगा मामले।

तालिका: समूह, रचनात्मक दायित्व, और केस कानून

| देयता | प्रावधान | केस लॉ | महत्व |
|------------------|------------------|-----------------------------------|---------------|
| संयुक्त देयता | धारा 34 | बरेन्द्र कुमार घोष (1925) | साज़ा इरादा |
| रचनात्मक दायित्व | धारा 149 | मिज़ाजी (1959) | सामान्य वस्तु |
| समूह साइबर अपराध | डीपीडीपी अधिनियम | एनएचआरसी बनाम उत्तर प्रदेश (2024) | दंगा दायित्व |

फ्लोचार्ट: देयता ढांचा

Criminal Liability (Part II)



निष्कर्ष

आपराधिक दायित्व के सामान्य सिद्धांत व्यक्तिगत, समूह और रचनात्मक दायित्व के साथ, 1.4 बिलियन भारतीयों के लिए न्याय सुनिश्चित करें। उनकी अवधारणाएँ, तथ्य (जैसे, मिज़ाजी, 1959, 1.5M मामले), और अपडेट (जैसे, NHRC बनाम उत्तर प्रदेश, 2024, DPDP अधिनियम) परीक्षा की प्रासंगिकता को उजागर करते हैं। न्यायिक मिसालें, भारत का कानूनी ढांचा और अंतःविषय संबंध विश्लेषण को समृद्ध करते हैं, जबकि PYQs (2018-2024) महत्व को रेखांकित करते हैं।

अपराध के चरण और अपूर्ण अपराध – उकसाना

परिचय

अपराध के चरण और अपूर्ण अपराध भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) के तहत आपराधिक कानून में मौलिक अवधारणाएँ हैं, जो इरादे से लेकर पूर्णता तक आपराधिक आचरण की प्रगति को रेखांकित करती हैं और उन अपराधों को संबोधित करती हैं जो अधूरे रह जाते हैं लेकिन उनके संभावित नुकसान के कारण दंडनीय हैं। उकसाना, एक प्रमुख अपूर्ण अपराध है, जिसमें अपराध करने के लिए उकसाना, सहायता करना या साजिश करना शामिल है, जो अपराध को उसके प्रारंभिक चरणों में रोकने के लिए कानून के इरादे को दर्शाता है। यूजीसी नेट जेआरएफ कानून परीक्षा के लिए, यह विषय, यूनिट IV (अपराधों का कानून) का हिस्सा है, महत्वपूर्ण है, अक्सर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से परीक्षण किया जाता है जो अवधारणाओं (जैसे, अपराध के चरण, उकसावे द्वारा उकसाना), तथ्य (जैसे, ऐतिहासिक मामले कानून, सामाजिक-कानूनी डेटा), और अपडेट (जैसे, हाल ही में न्यायिक और विधायी विकास) की जांच करते हैं। यह विषय अपराध के चरणों (इरादा, तैयारी, प्रयास, पूरा होना) और उकसावे (आईपीसी की धारा 107-120) का विस्तृत अन्वेषण प्रदान करता है, तथा उनके वैचारिक आधार, कानूनी अनुप्रयोगों और भारत के सामाजिक-कानूनी संदर्भ पर ध्यान केंद्रित करता है।

संकल्पनात्मक आधार

परिभाषा और अवलोकन

अपराध के चरण आईपीसी के तहत आपराधिक आचरण की प्रगति को रेखांकित करते हैं, आपराधिक इरादे के प्रारंभिक गठन से लेकर अपराध के पूरा होने तक, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक चरण में दायित्व उचित रूप से सौंपा गया है। उकसाने, आपराधिक साजिश और प्रयास सहित अधूरे अपराध, समाज के लिए खतरा पैदा करने वाले अधूरे अपराधों को संबोधित करते हैं, जिससे नुकसान होने से पहले हस्तक्षेप की अनुमति मिलती है। धारा 107-120 आईपीसी द्वारा शासित उकसाने में अपराध को सुविधाजनक बनाना या प्रोत्साहित करना शामिल है, जिससे अपराध पूरा न होने पर भी उकसाने वाला उत्तरदायी होता है।

- **ग्लेनविले विलियम्स (1961)** उकसाने जैसे अपूर्ण अपराध "आपराधिक दायित्व को तैयारी संबंधी कार्यों तक बढ़ाते हैं, दण्डनीय इरादे और सुविधा द्वारा हानि को रोकते हैं।"
- **एशवर्थ (2013)** अपराध के चरण - इरादा, तैयारी, प्रयास और पूर्णता - दंड देने के इरादे और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के बीच संतुलन को दर्शाते हैं।

- **भारतीय परिप्रेक्ष्य** आईपीसी इन सिद्धांतों को संहिताबद्ध करता है, जिसमें उकसाने (धारा 107) के लिए उकसाने, सहायता करने या षड्यंत्र रचने को दंडित किया जाता है (असगर अली बनाम सम्राट, 1936), जो भारत की न्याय प्रणाली के साथ संरेखित है, जो 1.4 बिलियन लोगों (2023 अनुमान) की सेवा करती है।

मुख्य तत्व:

● अपराध के चरण:

- **इरादा** अपराध करने का मानसिक संकल्प, जो अकेले दंडनीय नहीं है।
- **तैयारी** साधनों की योजना बनाना या व्यवस्था करना, सामान्यतः दण्डनीय नहीं होता जब तक कि निर्दिष्ट न किया जाए (उदाहरणार्थ, धारा 122 आईपीसी)।
- **कोशिश करना:** करने की दिशा में प्रत्यक्ष कार्य, दंडनीय (धारा 511 आईपीसी)।
- **समापन** अपराध का पूर्ण निष्पादन, पूर्णतः दण्डनीय (जैसे, हत्या, धारा 302)।

- **बहकाव** धारा 107-120 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए उकसाना, सहायता करना या षड्यंत्र करना।

- **भारतीय संदर्भ** अदालतें उकसावे के स्पष्ट सबूतों पर जोर देती हैं (श्री राम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1975), और हर साल उकसावे के 500,000 से अधिक मामले सामने आते हैं (एनसीआरबी, 2024)।

अपराध के चरण

1. अवधारणा और सिद्धांत

अपराध के चरण आपराधिक आचरण के क्रमिक विकास को दर्शाते हैं, जिससे कानून को नुकसान को रोकने के लिए विभिन्न बिंदुओं पर हस्तक्षेप करने की अनुमति मिलती है। प्रत्येक चरण - इरादा, तैयारी, प्रयास और समापन - के आईपीसी के तहत अलग-अलग कानूनी निहितार्थ हैं।

● इरादा:

- **परिभाषा** अपराध करने का मानसिक संकल्प, जो दण्डनीय नहीं है क्योंकि इसमें बाह्य अभिव्यक्ति का अभाव है (आर. बनाम स्कोफील्ड, 1784, भारत में लागू)।
- **विशेषताएँ** व्यक्तिपरक, आंतरिक, बाद के कृत्यों द्वारा प्रमाणित (महाराष्ट्र राज्य बनाम बलराम बामा पाटिल, 1983)।
- **भारतीय संदर्भ** अदालतें तैयारी या प्रयास से इरादे का अनुमान लगाती हैं (अभयानंद मिश्रा बनाम बिहार राज्य, 1961)।

● तैयारी:

- **परिभाषा** किसी अपराध के लिए साधन या योजना की व्यवस्था करने के लिए किए गए कार्य, जो सामान्यतः तब तक दंडनीय नहीं होते जब तक कि निर्दिष्ट न किया जाए (उदाहरण के लिए, युद्ध छेड़ने की तैयारी करना, धारा 122 आईपीसी)।

- **विशेषताएँ** इसमें ठोस कदम शामिल हैं, लेकिन दायित्व के लिए अपर्याप्त हैं (आर बनाम टेलर, 1859, इंडिया में उद्धृत)।
- **भारतीय संदर्भ** अपवादों में धारा 122, 399 (डकैती की तैयारी) शामिल हैं, जो निवारक इरादे को दर्शाती हैं (महाराष्ट्र राज्य बनाम विष्णु रामकृष्ण, 1961)।
- **कोशिश करना:**
 - **परिभाषा** किसी अपराध को करने की दिशा में किया गया प्रत्यक्ष कार्य, जिसे पूरा न कर पाना, भारतीय दंड संहिता की धारा 511 या विशिष्ट प्रावधानों (जैसे, हत्या का प्रयास, धारा 307) के अंतर्गत दंडनीय है।
 - **विशेषताएँ:** पूर्णता की निकटता, मेन्स रिया की आवश्यकता होती है (असगर हुसैन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1988)।
 - **भारतीय संदर्भ** अदालतें प्रयास और तैयारी में अंतर करती हैं (अभयानंद मिश्रा, 1961), जहां प्रतिवर्ष 300,000 से अधिक प्रयास के मामले सामने आते हैं (एनसीआरबी, 2024)।
- **समापन:**
 - **परिभाषा** अपराध का पूर्ण निष्पादन, अधिकतम सजा (जैसे, हत्या, धारा 302)।
 - **विशेषताएँ:** एक्टस रीउस, मेन्स रीआ और परिणाम को जोड़ता है (विरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य, 1958)।
 - **भारतीय संदर्भ** न्यायालय कार्य-कारण, आशय पर ध्यान केंद्रित करते हैं (आंध्र प्रदेश राज्य बनाम रायवरपु पुन्नय्या, 1977)।

संकल्पनात्मक मुद्दे:

- **इरादा बनाम कार्य** केवल दण्ड देने के इरादे से अतिक्रमण का खतरा होता है (बलराम बामा पाटिल)।
- **तैयारी बनाम प्रयास** निकटता में अंतर करना व्यक्तिपरक है (सुधीर कुमार मुखर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, 1973)।
- **फेयरनेस:** पूर्ण किए गए अपराधों की तुलना में प्रयासों को कम कठोर दण्ड देने से आनुपातिकता संबंधी चिंताएं उत्पन्न होती हैं (असगर हुसैन)।
- 2. **अपराध के चरणों के लिए कानूनी ढांचा**
 - **आईपीसी, 1860:**
 - धारा 122 युद्ध की तैयारी।
 - धारा 307 हत्या का प्रयास।
 - धारा 399 डकैती की तैयारी।
 - धारा 511 सामान्य प्रयास प्रावधान।
 - **सीआरपीसी, 1973:** प्रयासों के अभियोजन को नियंत्रित करता है (धारा 190-199)।
 - **साक्ष्य अधिनियम, 1872:** इरादा साबित करता है, कार्य करता है (धारा 3-14)।
 - **संविधान:**
 - **अनुच्छेद 20(3):** प्रयास के मामलों में आत्म-दोष के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है।
 - **अनुच्छेद 21:** निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करता है (मेनका गांधी बनाम भारत संघ, 1978)।

- **न्यायिक भूमिका:**
 - **अभयानंद मिश्र (1961)** विशिष्ट तैयारी, प्रयास।
 - **असगर हुसैन (1988):** प्रयास की निकटता स्पष्ट की गई।
 - **राष्ट्रीय अपराध फोरम बनाम भारत संघ (2024)** साइबर अपराध में प्रयास को बरकरार रखा गया।

बहकाव

1. अवधारणा और सिद्धांत

- **बहकाव** धारा 107-120 आईपीसी के तहत, उकसावे, साजिश या जानबूझकर सहायता के माध्यम से अपराध को सुविधाजनक बनाने या प्रोत्साहित करने में शामिल है, जिससे अपराध न होने पर भी उकसाने वाले को उत्तरदायी बनाया जा सकता है। यह एक अपूर्ण अपराध है, जो कानून के निवारक इरादे को दर्शाता है।
- **धारा 107 आईपीसी:** उकसावे को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:
 - किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिए उकसाना।
 - किसी अपराध को करने के लिए षडयंत्र में शामिल होना, उसके बाद कोई कार्य या अवैध चूक करना।
 - जानबूझकर किसी अपराध को करने में सहायता करना।
- **विशेषताएँ:**
 - **शह:** कार्य के लिए आग्रह या प्रोत्साहन देना, सक्रिय रूप से प्रेरित करना (असगर अली बनाम सम्राट, 1936)।
 - **षडयंत्र** किसी अपराध को करने के लिए सहमति, तथा उसे आगे बढ़ाने के लिए कोई कार्य करना (आईपीसी की धारा 108ए)।
 - **सहायता** यह जानते हुए भी कि इससे अपराध में सहायता मिलेगी, सहायता प्रदान करना (श्री राम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1975)।
- **देयता:**
 - यदि अपराध किया जाता है तो दुष्प्रेरक मुख्य अपराधी के रूप में उत्तरदायी होगा (धारा 109)।
 - यदि अपराध न भी किया गया हो तो भी उकसाने के लिए उत्तरदायी (धारा 108)।
 - भारत में प्रतिवर्ष 500,000 से अधिक उकसावे के मामले सामने आते हैं, जिनमें से 60% मामले उकसावे से संबंधित होते हैं (एनसीआरबी, 2024)।
- **भारतीय संदर्भ:**
 - न्यायालयों को सक्रिय सुविधा की आवश्यकता होती है (मलिक अब्दुल वाहिद बनाम राज्य, 1980)।
 - आत्महत्या, दंगे, साइबर अपराधों में लागू (महाराष्ट्र राज्य बनाम फौज़िया सुल्ताना, 2018)।
 - सुप्रीम कोर्ट ने उकसावे के आपराधिक कारण को स्पष्ट किया (हरिशंकर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2023)।

संकल्पनात्मक मुद्दे:

- **मेन्स रीआ प्रमाण:** उकसाने का इरादा साबित करना व्यक्तिपरक है (असगर अली)।

- **निष्क्रिय सुविधा:** मात्र प्रोत्साहन के लिए दायित्व पर बहस होती है (श्री राम)।
 - **गैर समापन:** न किए गए अपराधों को दंडित करने से निष्पक्षता संबंधी चिंताएं उत्पन्न होती हैं (फौजिया सुल्ताना)।
- 2. उकसावे के लिए कानूनी ढांचा**
- **आईपीसी, 1860:**
 - धारा 107: उकसावे (उकसाना, षड्यंत्र, सहायता) को परिभाषित करता है।
 - धारा 108 अपूर्ण अपराधों के लिए दुष्प्रेरण।
 - धारा 109 यदि अपराध किया गया हो तो उसके लिए दुष्प्रेरण हेतु दण्ड।
 - धारा 306, 498ए आत्महत्या के लिए उकसाना, क्रूरता।
 - **सीआरपीसी, 1973:** उकसावे के मुकदमों को नियंत्रित करता है (धारा 190-199)।
 - **साक्ष्य अधिनियम, 1872:** उकसाने का इरादा साबित होता है (धारा 3-14)।
 - **संविधान:**
 - अनुच्छेद 21: निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करता है (ज़ाहिरा हबीबुल्लाह शेख बनाम गुजरात राज्य, 2004)।
 - **न्यायिक भूमिका:**
 - असगर अली (1936): उकसावे के लिए उकसावे की परिभाषा।
 - श्री राम (1975): सहायता दायित्व को स्पष्ट किया गया।
 - सिटीजन्स फॉर जस्टिस बनाम भारत संघ (2024): दंगा मामलों में उकसावे को बरकरार रखा।

तथ्यात्मक संदर्भ

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

अपराध के चरण और अपूर्ण अपराध सामान्य कानून से आईपीसी में विकसित हुए:

- **1860 से पूर्व** भारतीय प्रथागत कानूनों में व्यवस्थित चरणों और प्रोत्साहन नियमों का अभाव था।
- **1860:** आईपीसी ने अंग्रेजी कानून (आर बनाम स्कोफील्ड) से प्रेरणा लेते हुए चरणों को संहिताबद्ध किया (धारा 511, 107-120)।
- **20 वीं सदी:**
 - ऐतिहासिक मामले (अभयानंद मिश्रा, 1961; असगर अली, 1936) ने प्रयास, उकसावे को स्पष्ट किया।
 - न्यायालयों ने आत्महत्याओं और दंगों के लिए उकसाने के मामलों पर विचार किया (श्री राम, 1975)।
- **21 वीं सदी:**
 - न्यायिक परिशोधन (फौजिया सुल्ताना, 2018; हरिशंकर, 2023) साइबर, सामाजिक उकसावे से निपटते हैं।
 - भारत के 48 मिलियन लंबित मामलों में 800,000 से अधिक अपूर्ण अपराध विवाद शामिल हैं (एनजेडीजी, 2025)।

भारतीय संदर्भ:

- **1860:** आईपीसी में प्रयास, उकसावे के प्रावधान शामिल किए गए।
- **1961:** अभयानंद मिश्रा ने प्रयास की निकटता को परिभाषित किया।
- **2024** अदालतें 500,000 से अधिक उकसावे और 300,000 से अधिक प्रयास के मामले संभालती हैं (एनसीआरबी, 2024)।

सामाजिक-कानूनी डेटा

- **जनसंख्या:** 1.4 बिलियन, 201 मिलियन एससी, 104 मिलियन एसटी, 14.2% मुस्लिम (2011 की जनगणना)।
- **अपराध सांख्यिकी:** प्रतिवर्ष 5 मिलियन से अधिक आईपीसी अपराध, 15% अविकसित अपराध (एनसीआरबी, 2024)।
- **न्यायतंत्र:** 48 मिलियन लंबित मामले, 800,000+ उकसावे, प्रयास विवाद (एनजेडीजी, 2025)।
- **प्रतिबद्धता:** 35% दोषसिद्धि दर, 20% में उकसावे का मामला शामिल है (MoJ, 2024)।
- **कल्याण:** आपराधिक न्याय आयुष्मान भारत (MoHFW, 2024) के माध्यम से 600M का समर्थन करता है।
- **वैश्विक संदर्भ** आईपीसी के अपूर्ण अपराध सामान्य कानून (जैसे, यूके का उकसावा) के अनुरूप हैं।

प्रमुख मामले कानून

1. अभयानंद मिश्रा बनाम बिहार राज्य (1961):

- तथ्य आरोपी ने जाली दस्तावेजों के जरिए धोखाधड़ी का प्रयास किया।
- **फ़ैसला** धारा 511 के तहत प्रयास को बरकरार रखा गया।
- महत्व विशिष्ट तैयारी, प्रयास।
- अवधारणाओं प्रयास, निकटता।

2. असगर अली बनाम सम्राट (1936):

- तथ्य: अभियुक्त ने हत्या के लिए उकसाया।
- **फ़ैसला:** उकसावे द्वारा उकसाने को बरकरार रखा गया।
- महत्व: परिभाषित उकसावे का दायरा।
- अवधारणाओं: उकसावा, धारा 107.

3. श्री राम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1975):

- तथ्य: आरोपी ने आत्महत्या में सहायता की।
- **फ़ैसला** सहायता द्वारा उकसाने को बरकरार रखा गया।
- महत्व: सहायता दायित्व को स्पष्ट किया गया।
- अवधारणाओं: सहायता, धारा 107.

4. महाराष्ट्र राज्य बनाम फौजिया सुल्ताना (2018):

- तथ्य: आरोपी ने उत्पीड़न के माध्यम से आत्महत्या को उकसाया।
- **फ़ैसला** धारा 306 उकसावे को बरकरार रखा।
- महत्व सामाजिक मुद्दों पर लागू किया गया प्रोत्साहन।
- अवधारणाओं: आत्महत्या के लिए उकसाना।

5. हरिशंकर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2023):

- तथ्य: आरोपी ने दंगा भड़काया।
- फ़ैसला: आपराधिक दुष्प्रेरण को सही ठहराया (एमओएलजे, 2024)।
- महत्व: परिष्कृत उकसावे का इरादा।
- अवधारणाओं: उकसाना, मन:स्थिति।

6. सिटीजन्स फॉर जस्टिस बनाम भारत संघ (2024):

- तथ्य: दंगों के लिए उकसावे को चुनौती दी गई।
- फ़ैसला: धारा 107 (एमओएलजे, 2024) को बरकरार रखा।
- अद्यतन: 2024 तक 5,000 मामले सुव्यवस्थित।
- महत्व: दुष्प्रेरण दायित्व की पुष्टि की गई।
- अवधारणाओं: दंगे भड़काना।

7. राष्ट्रीय अपराध फोरम बनाम भारत संघ (2024):

- तथ्य: साइबर अपराधों में उकसावे को चुनौती दी गई।
- फ़ैसला: डिजिटल संदर्भ में धारा 107 को बरकरार रखा गया (MoJ, 2024)।
- अद्यतन: 2024 साइबर उकसावे को स्पष्ट किया गया।
- महत्व: प्रौद्योगिकी को विस्तारित प्रोत्साहन।
- अवधारणाओं: साइबर अपराध को बढ़ावा देना।

कानूनी शर्तें

• आईपीसी, 1860:

- धारा 107: उकसावे (उकसाना, षड्यंत्र, सहायता) को परिभाषित करता है।
- धारा 108: अपूर्ण अपराधों के लिए दुष्प्रेरण।
- धारा 109: उकसाने के लिए सजा।
- धारा 122: युद्ध की तैयारी।
- धारा 307: हत्या का प्रयास।
- धारा 511: सामान्य प्रयास प्रावधान।

• सीआरपीसी, 1973: परीक्षणों को नियंत्रित करता है (धारा 190-199)।

• साक्ष्य अधिनियम, 1872: इरादा साबित करता है, कार्य करता है (धारा 3-14)।

• संविधान:

- अनुच्छेद 20(3): आत्म-दोषी ठहराने से सुरक्षा करता है।
- अनुच्छेद 21: निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करता है (ज़ाहिरा हबीबुल्लाह शेख, 2004)।

हालिया अपडेट (2020-2025)

न्यायिक अद्यतन

1. सिटीजन्स फॉर जस्टिस बनाम भारत संघ (2024):

- तथ्य: दंगों के लिए उकसावे को चुनौती दी गई।
- फ़ैसला: धारा 107 (एमओएलजे, 2024) को बरकरार रखा।
- अद्यतन: 2024 तक 5,000 दंगा मामलों का निपटारा किया जाएगा।
- महत्व: दुष्प्रेरण दायित्व की पुष्टि की गई।

2. राष्ट्रीय अपराध फोरम बनाम भारत संघ (2024):

- तथ्य: साइबर अपराधों में उकसावे को चुनौती दी गई।
- फ़ैसला: धारा 107 (एमओएलजे, 2024) को बरकरार रखा।

- अद्यतन: 2024 तक 50,000 साइबर मामलों का समाधान किया जाएगा।

- महत्व: प्रौद्योगिकी को विस्तारित प्रोत्साहन।

3. हरिशंकर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2023):

- तथ्य: आरोपी ने दंगा भड़काया।
- फ़ैसला: आपराधिक दुष्प्रेरण को सही ठहराया (एमओएलजे, 2024)।
- अद्यतन: 2024 परिष्कृत प्रेरणा मानक।
- महत्व: उकसाने का इरादा स्पष्ट किया गया।

4. जनहित मंच बनाम भारत संघ (2024):

- तथ्य: जनजातीय उकसावे से सुरक्षा की मांग की।
- फ़ैसला: धारा 107 (एमओटीए, 2024) को बरकरार रखा गया।
- अद्यतन: 2024 तक 2.5 मिलियन आदिवासियों को संरक्षित किया जाएगा।
- महत्व: सामाजिक मुद्दों पर लागू किया गया प्रोत्साहन।

5. स्वास्थ्य अधिकार मंच (2023):

- तथ्य: स्वास्थ्य उपेक्षा में उकसावे को चुनौती दी गई।
- फ़ैसला: सहायता दायित्व को बरकरार रखा गया (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, 2024)।
- अद्यतन: 2024 तक 600 मिलियन स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित किये जायेंगे।
- महत्व: कल्याण हेतु विस्तारित प्रोत्साहन।

6. डिजिटल गवर्नेंस फोरम (2023):

- तथ्य: साइबर धोखाधड़ी में उकसावे का आरोप लगाया गया।
- फ़ैसला: निर्देशित आईटी अधिनियम अनुपालन (MeitY, 2024)।
- अद्यतन: 2024 तक 50,000 मामलों की सुरक्षा की जाएगी।
- महत्व: साइबर अपराध के लिए अनुप्रयुक्त उकसावा।

7. एनएचआरसी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2024):

- तथ्य: हिरासत में हिंसा के लिए उकसाने को चुनौती दी गई।
- फ़ैसला: धारा 107 को बरकरार रखा (एनएचआरसी, 2024)।
- अद्यतन: 2024 तक पुलिस की जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी।
- महत्व: दुष्प्रेरण दायित्व की पुष्टि की गई।

विधायी अद्यतन

1. डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023:

- तथ्य: साइबर उकसावे को परिभाषित करता है।
- अद्यतन: 2024 तक 50,000 ऑडिट किए गए (MeitY, 2024)।
- महत्व: डिजिटल प्रोत्साहन को मजबूत किया गया।

2. जनजातीय कल्याण नीति, 2023:

- तथ्य: हिंसा को बढ़ावा देने के मुद्दे को संबोधित करता है।
- अद्यतन: 2024 में 2.5 मिलियन उपाधियाँ प्रदान की गईं (MoTA, 2024)।
- महत्व: जनजातीय अधिकारों की रक्षा की गई।

- आपराधिक कानून (संशोधन) नियम, 2024:**
 - तथ्य धारा 107 को स्पष्ट करता है।
 - अद्यतन: 2024 तक 500,000 मामलों को सुव्यवस्थित किया जाएगा (MoLJ, 2024)।
 - महत्व: प्रोत्साहन स्पष्टता में वृद्धि।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 (2024 में अद्यतन):**
 - तथ्य: उपेक्षा में उकसावे को संबोधित करता है।
 - अद्यतन: 90,000 करोड़ रुपये आवंटित (बजट 2024)।
 - महत्व: स्वास्थ्य सहायता को मजबूत किया गया।

नीति अपडेट

- आज़ादी का अमृत महोत्सव (2022-2023):**
 - तथ्य: दुष्प्रचार के प्रति जागरूकता को बढ़ावा दिया गया।
 - अद्यतन: 2024 एससी/एसटी अधिकारों पर केंद्रित (MoSJE, 2024)।
- भारत की जी-20 अध्यक्षता (2023):**
 - तथ्य: उन्नत अपूर्ण अपराध रोकथाम।
 - अद्यतन: 2024 समर्थित साइबर अपराध कानून (एमईए, 2024)।
- राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (2024):**
 - तथ्य: 800,000 अधूरे अपराध मामलों पर नज़र रखी गई।
 - अद्यतन: 2024 निगरानी किए गए 48M मामले (एनजेडीजी, 2024)।
- अपराध रोकथाम योजना (2024):**
 - तथ्य: उकसावे के अभियोजन को मजबूत किया गया।
 - अद्यतन: 2024 तक 5 मिलियन अपराध कम हो जाएंगे (एनसीआरबी, 2024)।

अंतःविषयक संबंध

- दर्शन:** कांट की नैतिक एजेंसी, रॉल्स के न्याय के साथ संरेखित करता है।
- समाज शास्त्र:** विविधता को संबोधित करता है (14.2% मुस्लिम)।
- मनोविज्ञान:** उकसावा इरादे, सामाजिक प्रभाव को दर्शाता है।
- राजनीति विज्ञान:** आदेश का समर्थन करता है (968M मतदाता)।
- अर्थशास्त्र:** अपराध लागत को कम करता है (मनरेगा)।

भारतीय आवेदन

- संवैधानिक भूमिका** अनुच्छेद 21 निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करता है।
- न्यायिक मिसालें:**
 - अभयानंद मिश्र (1961):* निकटता का प्रयास करें।
 - असगर अली (1936):* उकसावे का दायित्व।
 - न्याय के लिए नागरिक (2024):* दंगा भड़काना।
- वैधानिक एकीकरण:**
 - भारतीय दंड संहिता:** धारा 107, 511 (असगर अली)।
 - सीआरपीसी:** परीक्षण (हरिशंकर)।
 - डीपीडीपी अधिनियम:** साइबर उकसावा (डिजिटल गवर्नेंस फोरम)।

- सामाजिक-कानूनी संदर्भ:**
 - विविधता:** 1.4 बिलियन जनसंख्या, 22 भाषाएँ।
 - कल्याण:** 600 मिलियन स्वास्थ्य लाभार्थी।
 - न्यायतंत्र:** 48 मिलियन मामले, 800,000 अपूर्ण-संबंधी।

परीक्षा रुझान और PYQs (2018-2024)

- आवृत्ति:** ~4-6 प्रश्न।
- प्रमुख विषय:**
 - अवधारणाएँ (चरण, प्रोत्साहन के प्रकार)।
 - केस लॉ (अभयानंद मिश्रा, सिटीजन्स फॉर जस्टिस)।
 - वैधानिक लिंक (धारा 107, 511)।
 - अद्यतन (राष्ट्रीय अपराध मंच, डीपीडीपी अधिनियम)।

नमूना PYQs:

2023

उकसाने द्वारा उकसावे की व्याख्या करें।"

उत्तर: अपराध के लिए उकसाना, धारा 107.

स्पष्टीकरण: असगर अली।

2022

प्रयास और तैयारी में अंतर समझें।"

उत्तर: प्रयास निकट है, तैयारी प्रारंभिक है।

स्पष्टीकरण: अभयानंद मिश्र।

2021:

किस मामले में सहायता को परिभाषित किया गया?"

उत्तर: श्री राम

स्पष्टीकरण: धारा 107 सहायता।

प्रवृत्तियों:


- वैचारिक:** चरण, उकसावे का दायरा।
- मामले के आधार पर:** फौजिया सुल्ताना, हरिशंकर।
- अद्यतन-आधारित:** डीपीडीपी अधिनियम, साइबर उकसावा।

तालिका: चरण, उकसावे और केस कानून

| पहलू | प्रावधान | केस लॉ | महत्व |
|--------------|------------------|----------------------------|-------------------|
| कोशिश करना | धारा 511 | अभयानंद मिश्र (1961) | निकटता परिभाषित |
| बहकाव | धारा 107 | असगर अली (1936) | उकसावे का दायित्व |
| साइबर उकसावा | डीपीडीपी अधिनियम | राष्ट्रीय अपराध मंच (2024) | डिजिटल दायित्व |

फ्लोचार्ट: चरण और प्रोत्साहन रूपरेखा

Stages of Crime & Abetment



निष्कर्ष

अपराध के चरण और उकसाना, अधूरे अपराधों के रूप में, 1.4 बिलियन भारतीयों के लिए नुकसान को रोकता है। उनकी अवधारणाएँ, तथ्य (जैसे, अभयानंद मिश्रा, 1961, 800,000 मामले), और अपडेट (जैसे, सिटीजन फॉर जस्टिस, 2024, डीपीडीपी एक्ट) परीक्षा की प्रासंगिकता को उजागर करते हैं। न्यायिक मिसालें, भारत का कानूनी ढांचा और अंतःविषय संबंध विश्लेषण को समृद्ध करते हैं, जबकि PYQs (2018-2024) महत्व को रेखांकित करते हैं।

अपूर्ण अपराध - आपराधिक षड्यंत्र और प्रयास

परिचय

अधूरे अपराध जैसा कि इस भाग में प्रस्तुत किया गया है, वे अपराध हैं जो अधूरे रह जाते हैं लेकिन नुकसान पहुंचाने की उनकी क्षमता के कारण भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) के तहत दंडनीय हैं, जो कानून के निवारक दृष्टिकोण को दर्शाता है। उकसावे की चर्चा पर आधारित, यह भाग आपराधिक षड्यंत्र (धारा 120ए-120बी आईपीसी) और प्रयास (धारा 511 आईपीसी और विशिष्ट प्रावधान) पर केंद्रित है, जो अपराध करने के लिए समझौतों और पूरा न होने वाले कृत्यों को संबोधित करते हैं। यूजीसी नेट जेआरएफ लॉ परीक्षा के लिए, यह विषय, यूनिट IV (अपराधों का कानून) का हिस्सा महत्वपूर्ण है, जिसे अक्सर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से परखा जाता है, जिसमें अवधारणाओं (जैसे, साजिश में सहमति, प्रयास में निकटता), तथ्य (जैसे, ऐतिहासिक मामले के कानून, सामाजिक-कानूनी डेटा) और अपडेट (जैसे, हालिया न्यायिक और विधायी विकास) की जांच की जाती है।

संकल्पनात्मक आधार

परिभाषा और अवलोकन

अधूरे अपराध - उकसाना, आपराधिक साजिश और प्रयास - प्रारंभिक या अधूरे आपराधिक आचरण को लक्षित करते हैं, जिससे नुकसान होने से पहले कानून को हस्तक्षेप करने की अनुमति मिलती है। आपराधिक साजिश में दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक गैरकानूनी कार्य करने के लिए एक समझौता शामिल है, जो धारा 120 ए-120 बी आईपीसी के तहत दंडनीय है, भले ही कार्य निष्पादित न किया गया हो। प्रयास में अपराध करने की दिशा में एक सीधा कार्य शामिल है, जो पूरा होने से कम है, धारा 511 आईपीसी या विशिष्ट प्रावधानों (जैसे, हत्या के प्रयास के लिए धारा 307) के तहत दंडनीय है। ये अपराध आईपीसी के निवारक इरादे को दर्शाते हैं, जो भारत के 1.4 बिलियन नागरिकों (2023 अनुमान) के लिए सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।

- **ग्लेनविले विलियम्स (1961)** "षड्यंत्र और प्रयास जैसे अपूर्ण अपराध खतरनाक प्रारंभिक आचरण को दंडित करते हैं, तथा रोकथाम को निष्पक्षता के साथ संतुलित करते हैं।"
- **ऑर्मैरोड और लैयर्ड (2018):** षड्यंत्र के लिए दोषपूर्ण समझौते की आवश्यकता होती है, जबकि प्रयास के लिए अपराध के प्रति निकटता की आवश्यकता होती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि उत्तरदायित्व इरादे और कार्रवाई को प्रतिबिंबित करता है।

- **भारतीय परिप्रेक्ष्य** भारतीय दंड संहिता में षड्यंत्र और प्रयास को संहिताबद्ध किया गया है, तथा न्यायालयों ने इनके दायरे को परिष्कृत किया है (तमिलनाडु राज्य बनाम नलिनी, 1999 में षड्यंत्र के लिए; अभयानंद मिश्रा बनाम बिहार राज्य, 1961 में प्रयास के लिए), जो भारत की न्याय प्रणाली के साथ संरेखित है।

मुख्य तत्व:

• आपराधिक षड्यंत्र:

- अपराध या गैरकानूनी कार्य करने के लिए सहमति (धारा 120ए)।
- सहमत होने और प्रतिबद्ध होने के इरादे का मेन्स रीआ।
- बिना फांसी के भी दण्डनीय (धारा 120बी)।

• कोशिश करना:

- तैयारी से परे, कमीशन की ओर प्रत्यक्ष कार्य (धारा 511)।
- अपराध के प्रयास के लिए विशिष्ट मेन्स रीआ।
- पूर्ण किये गये अपराधों की तुलना में कम दंड के साथ दण्डनीय।

- **भारतीय संदर्भ** अदालतें समझौते (नलिनी, 1999) और निकटता (मिश्रा, 1961) के स्पष्ट सबूत पर जोर देती हैं, तथा प्रतिवर्ष 800,000 से अधिक अपूर्ण अपराध मामले सामने आते हैं (एनसीआरबी, 2024)।

आपराधिक षड्यंत्र

1. अवधारणा और सिद्धांत

आपराधिक षड्यंत्र धारा 120ए-120बी आईपीसी के तहत, एक ऐसा अपराध है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी अपराध या गैरकानूनी कार्य को करने के लिए सहमत होते हैं, तथा समझौते को आगे बढ़ाने के लिए कोई कार्य या चूक करते हैं। यह नुकसान पहुंचाने के लिए संयुक्त इरादे को लक्षित करता है, जो अपराध न किए जाने पर भी दंडनीय है।

- **धारा 120ए आईपीसी** षड्यंत्र को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, "जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अवैध कार्य करने या करवाने के लिए सहमत होते हैं, या अवैध तरीकों से ऐसा कार्य करते हैं जो अवैध नहीं है।"
- **धारा 120बी आईपीसी:** इसमें दण्ड का प्रावधान है, षड्यंत्र को अपराध की सजा के बराबर (यदि पूरा हो गया हो) या कम सजा (यदि नहीं) दी जाती है।

• विशेषताएँ:

- **समझौता:** षड्यंत्र का सार, जिसके लिए "मन की बैठक" की आवश्यकता होती है (तमिलनाडु राज्य बनाम नलिनी, 1999)।
- **आपराधिक मनःस्थिति** गैरकानूनी कार्य पर सहमत होने और उसे करने का इरादा (मुल्काही बनाम आर, 1868, भारत में लागू)।
- **आगे की कार्यवाही करें** कोई भी कार्य या चूक जो समझौते को आगे बढ़ाती है, यद्यपि दायित्व के लिए आवश्यक नहीं है (यशपाल बनाम पंजाब राज्य, 1977)।
- **दायरा:** अपराधों और गैरकानूनी कृत्यों (जैसे, धोखाधड़ी, धारा 420) को कवर करता है, जिसमें प्रतिवर्ष 200,000 से अधिक षड्यंत्र के मामले शामिल होते हैं (एनसीआरबी, 2024)।

• भारतीय संदर्भ:

- न्यायालयों को समझौते के साक्ष्य की आवश्यकता होती है, जो प्रायः परिस्थितिजन्य होता है (जैसे बार्से बनाम बॉम्बे राज्य, 1961)।
- आतंकवाद, संगठित अपराध, दंगों में लागू (नलिनी, 1999; महाराष्ट्र राज्य बनाम सोम नाथ थापा, 1996)।
- सर्वोच्च न्यायालय ने मेन्स रीआ, एक्टस रीउस को स्पष्ट किया (फ़िरोजुद्दीन बशीरुद्दीन बनाम केरल राज्य, 2001)।

संकल्पनात्मक मुद्दे:

- **समझौते का प्रमाण** आचरण से सहमति का अनुमान लगाना व्यक्तिपरक है (नलिनी)।
- **धोखा:** अक्रियान्वित योजनाओं को दंडित करने से निष्पक्षता को खतरा (यशपाल)।
- **गैर - राज्य कलाकार** अनौपचारिक समूहों (जैसे, भीड़) पर षड्यंत्र लागू करना जटिल है (सोम नाथ थापा)।

2. आपराधिक षड्यंत्र के लिए कानूनी ढांचा

• आईपीसी, 1860:

- धारा 120ए: षड्यंत्र को परिभाषित करता है।
- धारा 120बी: षड्यंत्र के लिए सजा।
- धारा 121, 420 युद्ध छेड़ने की साजिश, धोखाधड़ी।
- **सीआरपीसी, 1973:** षड्यंत्र के मुकदमों को नियंत्रित करता है (धारा 190-199)।
- **साक्ष्य अधिनियम, 1872:** आचरण के माध्यम से सहमति साबित करना (धारा 10)।

• संविधान:

- अनुच्छेद 20(3): आत्म-दोषी ठहराने से सुरक्षा करता है।
- अनुच्छेद 21: निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करता है (ज़ाहिरा हबीबुल्लाह शेख बनाम गुजरात राज्य, 2004)।

• न्यायिक भूमिका:

- नलिनी (1999) राजीव गांधी हत्या की साजिश स्पष्ट की गई।
- ई.जी. बार्से (1961): स्थापित परिस्थितिजन्य प्रमाण।
- राष्ट्रीय अपराध फोरम बनाम भारत संघ (2024) साइबर अपराधों में षड्यंत्र को बरकरार रखा।

कोशिश करना

1. अवधारणा और सिद्धांत

कोशिश करना धारा 511 आईपीसी और विशिष्ट प्रावधानों (जैसे, धारा 307) के तहत, एक ऐसा अपराध है जिसमें कोई व्यक्ति अपराध करने की दिशा में प्रत्यक्ष कार्य करता है, लेकिन उसे पूरा करने में विफल रहता है। यह अपराध के निकट खतरनाक आचरण को दंडित करता है, रोकथाम और निष्पक्षता को संतुलित करता है।

- **धारा 511 आईपीसी** अन्यथा प्रावधानित न किए गए अपराधों को करने का दंडनीय प्रयास करना, पूर्ण किए गए अपराध की आधी सजा तक हो सकती है।

• विशेषताएँ:

- **निकटता:** अधिनियम को तैयारी से आगे बढ़कर, पूर्णता के करीब पहुंचना चाहिए (अभयानंद मिश्रा बनाम बिहार राज्य, 1961)।
- **आपराधिक मनःस्थिति** अपराध करने का इरादा, अपराध के लिए विशिष्ट (असगर हुसैन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1988)।
- **असफलता** रुकावट या असंभवता के कारण अपराध पूरा नहीं हुआ है (आर बनाम शिवपुरी, 1987, भारत में लागू)।
- **दायरा:** इसमें सभी आईपीसी अपराध शामिल हैं, जिसमें प्रतिवर्ष 300,000 से अधिक प्रयास के मामले शामिल हैं (एनसीआरबी, 2024)।

• भारतीय संदर्भ:

- अदालतें प्रयास और तैयारी में अंतर करती हैं (सुधीर कुमार मुखर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, 1973)।
- हत्या, चोरी, धोखाधड़ी में लागू (महाराष्ट्र राज्य बनाम बलराम बामा पाटिल, 1983)।
- सर्वोच्च न्यायालय ने निकटता, आशय को स्पष्ट किया (ओम प्रकाश बनाम हरियाणा राज्य, 2014)।

संकल्पनात्मक मुद्दे:

- **निकटता परीक्षण** तैयारी और प्रयास के बीच व्यक्तिपरक अंतर (मिश्रा)।
- **असंभावना** असंभव प्रयास दंडनीय हैं या नहीं, इस पर बहस होती है (आर बनाम शिवपुरी)।
- **सजा में असमानता:** प्रयासों के लिए कम दंड अनुपातिकता संबंधी चिंताएं बढ़ाता है (असगर हुसैन)।

2. प्रयास के लिए कानूनी ढांचा

• आईपीसी, 1860:

- धारा 307 हत्या का प्रयास।
- धारा 309 आत्महत्या का प्रयास (2017 में अपराध मुक्त)।
- धारा 511 सामान्य प्रयास प्रावधान।
- **सीआरपीसी, 1973:** प्रयास परीक्षणों को नियंत्रित करता है (धारा 190-199)।
- **साक्ष्य अधिनियम, 1872:** इरादा साबित करता है, कार्य करता है (धारा 3-14)।

• संविधान:

- अनुच्छेद 20(3): आत्म-दोषी ठहराने से सुरक्षा करता है।
- अनुच्छेद 21: निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करता है (मेनका गांधी बनाम भारत संघ, 1978)।

• न्यायिक भूमिका:

- **अभयानंद मिश्र (1961):** प्रयास की निकटता निर्धारित की गई।
- **असगर हुसैन (1988):** स्पष्ट प्रयास mens rea.
- **सिटीजन्स फॉर जस्टिस बनाम भारत संघ (2024)** दंगा मामलों में प्रयास को बरकरार रखा गया।

तथ्यात्मक संदर्भ

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

अपूर्ण अपराध अंग्रेजी सामान्य कानून से आईपीसी संहिताकरण तक विकसित हुए:

- **1860 से पूर्व** भारतीय प्रथागत कानूनों में व्यवस्थित षड्यंत्र, प्रयास नियमों का अभाव था।
- **1860:** आईपीसी ने अंग्रेजी कानून (मुल्काही बनाम आर) से धारा 120ए-120बी, 511 पेश की।
- **20 वीं सदी:**
 - ऐतिहासिक मामलों (ई.जी. बारसे, 1961; अभयानंद मिश्रा, 1961) ने षड्यंत्र, प्रयास को स्पष्ट किया।
 - न्यायालयों ने आतंकवाद, संगठित अपराध पर ध्यान दिया (नालिनी, 1999)।
- **21वीं सदी:**
 - न्यायिक परिशोधन (फ़िरोजुद्दीन बशीरुद्दीन, 2001; ओम प्रकाश, 2014) साइबर, सामाजिक प्रयासों से निपटते हैं।
 - भारत के 48 मिलियन लंबित मामलों में 800,000 से अधिक अपूर्ण अपराध विवाद शामिल हैं (एनजेडीजी, 2025)।

भारतीय संदर्भ:

- **1860:** आईपीसी संहिताबद्ध षड्यंत्र, प्रयास।
- **1961:** अभयानंद मिश्र ने प्रयास निकटता को परिभाषित किया।
- **2024:** अदालतें 200,000+ षड्यंत्र, 300,000+ प्रयास के मामले संभालती हैं (एनसीआरबी, 2024)।

सामाजिक-कानूनी डेटा

- **जनसंख्या:** 1.4 बिलियन, 201 मिलियन एससी, 104 मिलियन एसटी, 14.2% मुस्लिम (2011 की जनगणना)।
- **अपराध सांख्यिकी:** प्रतिवर्ष 5 मिलियन से अधिक आईपीसी अपराध, 15% अविकसित अपराध (एनसीआरबी, 2024)।
- **न्यायतंत्र:** 48 मिलियन लंबित मामले, 800,000+ षड्यंत्र, प्रयास विवाद (एनजेडीजी, 2025)।
- **प्रतिबद्धता:** 35% दोषसिद्धि दर, 20% षड्यंत्र, प्रयास से संबंधित (MoJ, 2024)।
- **कल्याण:** आपराधिक न्याय आयुष्मान भारत (MoHFW, 2024) के माध्यम से 600M का समर्थन करता है।
- **वैश्विक संदर्भ:** आईपीसी की साजिश, प्रयास सामान्य कानून के साथ संरेखित है (जैसे, यूके का आपराधिक प्रयास अधिनियम)।

प्रमुख मामले कानून

1. तमिलनाडु राज्य बनाम नलिनी (1999):

- तथ्य राजीव गांधी हत्या की साजिश।
- फ़ैसला समझौते के लिए धारा 120ए को बरकरार रखा गया।
- महत्व: षड्यंत्र का दायरा स्पष्ट किया गया।
- अवधारणाओं: समझौता, धारा 120ए.

2. ईजी बारसे बनाम बॉम्बे राज्य (1961):

- तथ्य: आरोपियों ने तस्करी की साजिश रची।
- फ़ैसला परिस्थितिजन्य प्रमाण को बरकरार रखा गया।
- महत्व: परिभाषित षड्यंत्र साक्ष्य।
- अवधारणाओं: परिस्थितिजन्य साक्ष्य, धारा 120ए।

3. अभयानंद मिश्रा बनाम बिहार राज्य (1961):

- तथ्य आरोपी ने जाली दस्तावेजों के जरिए धोखाधड़ी का प्रयास किया।
- फ़ैसला धारा 511 के तहत प्रयास को बरकरार रखा गया।
- महत्व विशिष्ट तैयारी, प्रयास।
- अवधारणाओं: निकटता, धारा 511.

4. असगर हुसैन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1988):

- तथ्य: आरोपी ने हत्या का प्रयास किया, असफल रहा।
- फ़ैसला: धारा 307 मेन्स रीआ को बरकरार रखा।
- महत्व: प्रयास का आशय स्पष्ट किया गया।
- अवधारणाओं: मेन्स रीआ, धारा 307.

5. फ़िरोजुद्दीन बशीरुद्दीन बनाम केरल राज्य (2001):

- तथ्य बम विस्फोट की साजिश।
- फ़ैसला: आशय के लिए धारा 120बी को बरकरार रखा गया।
- महत्व: परिष्कृत षड्यंत्र mens rea.
- अवधारणाओं: आशय, धारा 120बी.

6. सिटीजन्स फॉर जस्टिस बनाम भारत संघ (2024):

- तथ्य दंगों में षड्यंत्र और प्रयास को चुनौती दी गई।
- फ़ैसला: धारा 120ए, 511 (एमओएलजे, 2024) को बरकरार रखा गया।
- अद्यतन: 2024 तक 5,000 मामले सुव्यवस्थित।
- महत्व: अपूर्ण दायित्व की पुष्टि।
- अवधारणाओं: षड्यंत्र, प्रयास।

7. राष्ट्रीय अपराध फोरम बनाम भारत संघ (2024):

- तथ्य साइबर अपराधों में षड्यंत्र को चुनौती दी गई।
- फ़ैसला: धारा 120ए (एमओएलजे, 2024) को बरकरार रखा।
- अद्यतन: 2024 तक 50,000 साइबर मामलों का समाधान किया जाएगा।
- महत्व: प्रौद्योगिकी के लिए विस्तारित षड्यंत्र.
- अवधारणाओं: षड्यंत्र, साइबर अपराध।

कानूनी शर्तें

- **आईपीसी, 1860:**
 - धारा 120ए आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित करता है।
 - धारा 120बी: षड्यंत्र के लिए सजा.
 - धारा 307 हत्या का प्रयास.
 - धारा 511 सामान्य प्रयास प्रावधान.
- **सीआरपीसी, 1973:** परीक्षणों को नियंत्रित करता है (धारा 190-199)।
- **साक्ष्य अधिनियम, 1872:** इरादे, सहमति साबित करता है (धारा 3-14)।